न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रवीण कुमार,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या 97 / 2024 (सी.आई.एस.नम्बर 97 / 2024)

एफ. आई. आर. सं. 268 / 2024, पुलिस थाना – कोतवाली

राजस्थान राज्य –अभियोगी

:: बनाम ::

01. मनोज उर्फ मनीष पिता रामजी बामणिया उम्र 29साल निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर (राज.)।

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत 302 भा.दं.सं.

उपस्थिति :–

1.श्री उदयसिंह चौहान, अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

2.श्री मकसुद अली व श्री मोहम्मद जाहिद, विद्वान अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 08.07.2026**

1. यह प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर के आदेश से अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी प्रार्थी देवीलाल पिता स्व. हाजा कटारा उम्र वयस्क निवासी गोकुलपुरा पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर राज. का निवेदन इस प्रकार है की लगभग 2021 वर्ष में मेरी बहन ललिता पिता स्व. हाजा का नाता विवाह मनीष उर्फ (मनोज) पिता रामजी बामनिया निवासी वीरपुर के साथ किया था जो उसके नुत्फे से एक बेटी है। जो मनीष मेरी बहन ललिता के साथ आए दिन मारपीट करता था जो मेरी बहन काफी बार मेरी माँ के पास आई थी जो मेरी माँ ने मेरी बहन का घर ना टूटे इसलिए में समझा बूजा के वापस उसके ससुराल भेज दिया था फिर भी मनीष के व्यवहार में कोई परिवर्तन नही आया, वह मेरी बहन के साथ मारपीट करता ही रहा, दिनाकं 27.06.2024 को लगभग 10 बजे मेरी माँ के उपर मेरी बहन का फोन आया व रोते हुए बोली की मेरा

पति मेरे साथ मारपीट कर रहा है व मुझे जान से मारने की धमकिया दे रहा है इतना बोल कर मेरी बहन ने फोन काट दिया इसके बाद हमने वापस फोन लगाने की कोशिश कि किन्तु फोन बंद आ रहा था आज दिनाकं 29.06.2024 को पुलिस थाना कोतवाली से फोन आया और सारी घटना बताई व हमें मौके पर बुलाया तो में मेरे परिवार वालो के साथ मेरी बहन के घर पर गए. हमने वहा पर जाकर देखा तो मेरी बहन ललिता को मृत अवस्था देखा उसके शरीर पर काफी गंभीर छोटे देखी व सर पर भी काफी घाव थे मनीष मेरी बहन के साथ आये दिन मारपीट करता था और जान से मारने की धमकिया भी देता था मेरी बहन को मनीष ने जान से मारकर घर में छोड़ कर वहा से टाईपशुदा रिपोर्ट पर पुलिस थाना धम्बोला द्वारा प्रकरण संख्या 268/2024 अंतर्गत धारा 302 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान एवं संकलित साक्ष्यों से अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भादस के तहत आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के समक्ष पेश किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को कमिट की गई, जहां से प्रकरण निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

3. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त को अपराध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त अपराध के आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन निम्न लिखित गवाहान को परीक्षित करवाया गया :–

क. सं.	**गवाह का नाम**	**पी डब्ल्यू**
01.	देवीलाल	पी.डब्ल्यू. 01
02.	बाबुलाल	पी.डब्ल्यू. 02
03.	फुलशंकर	पी.डब्ल्यू. 03
04.	शंकरलाल	पी.डब्ल्यू. 04
05.	विनोद कुमार	पी.डब्ल्यू. 05
06.	कालुराम	पी.डब्ल्यू. 06
07.	खातुराम	पी.डब्ल्यू. 07
08.	फुली	पी.डब्ल्यू. 08
09.	दिनेश	पी.डब्ल्यू. 09
10.	प्रहलाद सिंह	पी.डब्ल्यू. 10
11.	जितेन्द्र सिंह	पी.डब्ल्यू. 11

12.	प्रकाश	पी.डब्ल्यू. 12
13.	अर्जून सिंह	पी.डब्ल्यू. 13
14.	अमृतलाल	पी.डब्ल्यू. 14
15.	पुनित दवे	पी.डब्ल्यू. 15
16.	जीवराम	पी.डब्ल्यू. 16
17.	आदित्य मेहता	पी.डब्ल्यू. 17
18.	भगवानलाल	पी.डब्ल्यू. 18

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नानुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये—

क्र.सं.	**प्रदर्श**	**दस्तावेज का विवरण**
01.	प्रदर्श पी. 01	घटना की रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी. 02	फर्द पंचायतनामा लाश
03.	प्रदर्श पी. 03	नक्शा मौका
04.	प्रदर्श पी. 04	फर्द सुपुर्दगी लाश
05.	प्रदर्श पी. 05	गवाह विनोद के पुलिस बयान
06.	प्रदर्श पी. 06	पोस्टमार्टम बाबत तहरीर
07.	प्रदर्श पी. 07	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
08.	प्रदर्श पी. 08	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष
09.	प्रदर्श पी. 11	फर्द मौका तस्दीक
10.	प्रदर्श पी. 12	फर्द बरामदगी स्टील का पाईप
11.	प्रदर्श पी. 13	फर्द तस्दीक बरामदगीस्थल
12.	प्रदर्श पी. 14	धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
13.	प्रदर्श पी. 15	थाने का अग्रेषण पत्र
14.	प्रदर्श पी. 16	एस पी कार्यालय का अग्रेषण पत्र
15.	प्रदर्श पी. 17	प्राप्ति रसीद
16.	प्रदर्श पी. 18	थाने का अग्रेषण पत्र
17.	प्रदर्श पी. 19	एस पी कार्यालय का अग्रेषण पत्र
18.	प्रदर्श पी. 20	प्राप्ति रसीद
19.	प्रदर्श पी. 21	फोरेंसिक रिपोर्ट
20.	प्रदर्श पी. 22	फोरेंसिक रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत तहरीर
21.	प्रदर्श पी. 23 से 27	फोरेसिंक द्वारा पेश फोटोग्राफ
22.	प्रदर्श पी. 28	धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधि.
23.	प्रदर्श पी. 29	मालखाना रजिस्टर की प्रति

24.	प्रदर्श पी. 30 व 31	मृतका के फोटोग्राफ
25.	प्रदर्श पी. 32	धारा 65बी का प्रमाण पत्र
26.	प्रदर्श पी. 33	चाक एफआईआर
27.	प्रदर्श पी 34 व 35	धारा 27 की सूचना
28.	प्रदर्श पी 35 से 40	रोजनामचा रपट
29.	प्रदर्श पी 41	अभियुक्त मनोज का ब्लड ऑन एफटीए कार्ड पर लिवाने बाबत पुलिस तहरीर
30.	प्रदर्श पी 42	अभियुक्त का चोट प्रतिवेदन दिलाने बाबत तहरीर
31.	प्रदर्श पी 43	अभियुक्त की मेडिकल रिपोर्ट

6. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को झूठा फंसाये जाने, निर्दोष होने का कथन किये है।

7. दौराने बहस विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एव दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध पूर्ण रूप से साबित करने वह सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को अपराध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

8. उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में कोई चश्मददी साक्षी नहीं है, न ही किसी ने घटना को देखा है। अभियुक्त प्रकरण मे झूठा फसाया गया है। महत्वपूर्ण गवाहों ने घटना की ताईद नहीं की है। मृतका ललिता का गांव के ही अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध था जिससे फोन पर बात करने की जानकारी अभियुक्त को थी। किसी भी गवाह ने अभियुक्त को मृतका को मारते हुये नहीं देखा। प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह अभियोजन पक्ष के विरोधाभासी कथन कर रहे है। मृतका के शरीर पर सभी चोटे सामान्य प्रकृति की है। घटनास्थल पर किसी प्रकार के रक्त संबंधी निशान नहीं मिले, जो गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुये है उन्होंने घटना की ताईद नहीं की है। एफआईआर सोच समझ कर अभियुक्त को झूठा फसाने के लिए की गई है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो साक्ष्य दी है वह न तो घटना को पुष्ट कर रही है, न ही अभियुक्त को आरोपित अपराध में संलिप्त कर रही है। अभियुक्त निर्दोष है उसे

झूठा फसाया गया है। अंत में अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9. **इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु तय करना है :—**

आया अभियुक्त ने दिनांक 27.06.2024 को या इसके पश्चात किसी समय स्थान वीरपुर में मृतका ललिता की हत्या कारित करने के आशय से उसर्क मारपीट कर उपहतियां कारित करते समय जानते थे कि उक्त कृत्य से उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है एवं उपहतियां या शारीरक क्षतियां कारित करने का कार्य प्र कृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी और आप जानते थे कि उपहतियां या शारीरिक क्षतियां कारित करने का आपराधिक कार्य इतना आसन्न संकट था कि पूरी अधिसंभाव्यता थी कि मृत्यु कारित हो ही जायेगी और इस प्रकार आपने मृतका श्रीमति ललिता की हत्या का अपराध कारित किया ?

यदि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध साबित होते हैं, उचित दण्ड क्या होगा?

10. अवधार्य बिन्दु का विनिश्चय :—

अवधार्य बिन्दु अभियोजन पक्ष के विरूद्ध तय किया जाता है।

11. **<u>विनिश्चय के कारण</u>**

हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह परीक्षित हुये है उनमें किसी भी गवाह द्वारा अभियुक्त के आरोपित अपराध में संलिप्त होने के संबंध में कथन नहीं किये है, न ही किसी गवाह ने अभियुक्त को मृतक को मारते हुये देखे जाने के कथन किये है। ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तथा चिकित्सकीय साक्ष्य की मिलीजुली साक्ष्य का विश्लेषण किये जाना निर्णय के लिये एक आवश्यक तथ्य है जिस पर भी गवाहों की साक्ष्य के साथ ही विश्लेषण किया जा रहा है।

अब यदि अभियोजन पक्ष की ओर से जो शेष गवाह बचे है, उनका विश्लेषण करे **गवाह पी ड 01 देवीलाल** जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, ताईदी बयान से संबंधित गवाह है, ने अपनी साक्ष्य में कथन किये कि दिनांक 29.06.2024 की बात है। मै मेरे घर पर था। पुलिस वालो का मुझ पर फोन आया। उन्होंने फोन पर मुझे पूछा की तिजवड, वीरपुर गांव मे तेरी बहन है क्या मैने हा बोला। पुलिस ने मुझे बताया कि तेरी बहन की मौत हो गई है फिर मैने यह बात मेरे परिवार के बाबुलाल, फुलशंकर, कालुराम, खातु और गांव के दूसरे जनों को भी बताया। हम सभी मिलकर बहन

के घर वीरपुर गये। जहां पर जाकर देखा तो मेरी बहन ललिता खाट पर मरी हुई पड़ी थी। मेरी बहन ललिता का नाता विवाह मनिष उर्फ मनोज के साथ तीन वर्ष पहले करवाया था। उसके एक लडकी है। फिर मैं मेरी बहन को हॉस्पीटल लेकर आया। हॉस्पीटल में कानूनी कार्यवाही की थी। मेने मेरी बहन के साथ हुई घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी थी जो रिपोर्ट प्रपी 01 हैं जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरी बहन की लाश का पोस्टमार्टम करवाया था, जो फर्द पंचायतनामा लाश प्रपी 02 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इसके अलावा मेरे सामने पुलिस ने काई कार्यवाही नहीं की थी फिर कहा पुलिस ने मुझे मेरी बहन के घर बुलाया था और वहां जाकर पुलिस ने मुझसे क्या क्या हुआ था यह पुछा था। मैने बताया था घटनास्थल का नक्शा मौका प्रपी 03 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे बयान लिये थे। मैने मेरे पुलिस बयान में यह बताया था कि मनिष उर्फ मनोज उसके साथ में आए दिन मारपीट करता था। मनिष उर्फ मनोज ने मेरी बहन के साथ में दो चार बार मारपीट की थी। मेरी बहन का मारपीट होने के बाद फोन भी मेरी मां के उपर फोन दो दिन पहले आया था। और उसने बताया था मनिष उर्फ मनोज ने मेरे साथ में मारपीट की हों। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि मेरी बहन का नाता विवाह करवाया था। यह कहना सही है कि मेरी बहन और उसका पति दोनो साथ में आते जाते रहते थे। यह कहना सही है कि जब कभी भी दोनों मेरे घर पर आते थे राजी खुशी आते थे ओर राजी खुशी चले जाते थे। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मेरी बहन ललिता प्रेम प्रसंग विनोद के साथ हो। दोस्ती हो तो भी मुझे नहीं पता। मैं विनोद रोत निवासी मांडवा खापरडा का उसे नहीं जानता। मैं दो साल पहले मेरी बहन के ससुराल गया था इसके बाद कभी भी मेरी बहन के घर पर नहीं गया। यह कहना सही है कि मेरी बहन मुझसे राजी खुशी बात करती थी व ससुराल में राजी खुशी रहती थी। मेरी बहन से मेरी बात घटना के एक महिने पहले बात हुई थी इसके बाद कभी बात नहीं हुई थी अजखुद कहा मेरी मां से बात होती रहती थी। यह कहना सही है कि मेरी मां से मेरी बहन ललिता के बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी और न ही मेरी बहन के बारे में मेरी मां ने बताया था। गवाहान बाबुलाल, फुलशंकर, शंकरलाल, खातु सभी मेरे काका लगते है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01 रिपोर्ट में क्या लिखा पढी की मुझे नहीं पता। मेरे तो केवल हस्ताक्षर करवाये थे न ही मुझे पढकर सुनाया था। अजखुद कहा कि पढकर सुनाई थी। यह कहना

सही है कि रिपोर्ट गांव वाले लिख कर लाये थे और मैं भी साथ में गया था रिपोर्ट गांव वालों ने लिखवाई थी। यह कहना सही है कि प्रपी 02 में क्या लिखा हुआ था वह मुझे नहीं पता मेरे तो केवल हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है कि प्रपी 03 में क्या लिखा पढी की मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने मेरे तीन चार कागजों पर थाने में हस्ताक्षर करवाये थे। **यह कहना सही है कि अभियुक्त से मैं पांच महिने पहले मिला अजखुद कहा मेरी बहन को मेरा जीजा घर लेने आया था मेरे बहन नाराज होकर आई थी। यह कहना सही है कि मैने मेरे पुलिस बयान में मेरी बहन नाराज होकर मेरे घर आई थी यह बात नहीं लिखवाई थी।** मेरी बहन नाता विवाह के पश्चात अपने ससुराल में ज्यादा रहती थी पीहर में तो कभी कभार आती थी। **यह कहना सही है कि मेरी बहन कैसे मरी इसके बारे में मेने किसी से पूछताछ नहीं की थी।** यह कहना सही है कि मेरी बहन के साथ में मनिष उर्फ मनोज मारपीट करता था उसकी रिपोर्ट हमने पुलिस थाने में नहीं दी थी। यह कहना सही है कि मेरी माता की मेरी बहन से कब और कितने बजे बात हुई थी मुझे नहीं पता। **यह सही है कि मेरी बहन की लाश का अंतिम संस्कार, सामाजिक रिति रिवाज मनिष उर्फ मनोज व उसके परिवार वालों ने किया था।** यह कहना सही है कि जो रिपोर्ट पुलिस को दी थी उसमें मनिष उर्फ मनोज व मेरी बहन के बीच में क्या विवाद था ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। यह कहना सही है कि मेरी बहन के साथ मारपीट होते हुए मैने नहीं देखा है। यह कहना सही है कि मेरी बहन को किस ने मारा मुझे नहीं पता मुझे मुकदमा होने के बाद पुलिस ने बताया था कि मनिष उर्फ मनोज ने मारा है। यह सही है कि मेरी बहन ललिता का मोबाईल पुलिस ने जब्त किया था। यह कहना गलत है कि मेरी बहन विनोद से मोबाईल से बात करती हो और इसकी मोबाईल की रिकॉर्डिंग की जानकारी विनोद को हो गई हो और विनोद ने ललिता को मारा हो। यह सही है कि मैने मनिष उर्फ मनोज को कभी शराब पीता हुआ नहीं देखा था और ऐसी बात किसी ने नहीं बताई थी। यह सही है कि मनोज व मेरी बहन के बीच कोई विवाद को लेकर मनोज से समझाईश करने के लिए मैं व मेरी मां मेरे रिश्तेदार मनोज के यहां नहीं गये थे। यह सही है कि मैंने भी कभी मनोज व ललिता के झगडे की बात किसी को नहीं बताई थी।

गवाह **पी.ड.2 बाबुलाल** जो कि 161 सीआरपीसी,फर्द पंचायतनामा लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश ललिता की ताईदी का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया

है कि दिनांक 29.06.2024 की बात है। उस दिन मेरे उपर देवीलाल का फोन आया था। उसने फोन में मुझे बताया कि मेरे घर पर पुलिस बुलाने आई है आप आओ। मैने उसको फोन में पूछा कि पुलिस क्यों आई है तो उसने मुझे बताया की मेरी बहन ललिता की शादी वीरपुर में कराई है उसकी मृत्यु हो गई इसलिए अपने जाना है फिर मैं, देवीलाल व उसकी मां व गांव के परिवार के लोग भी थे। पुलिस के साथ मोके पर गये। मौके पर गये उसका मकान पहाडी के उपर था पहले से खुला था पहले से पुलिस वहां मौजूद थी। वहां जाकर देखा तो घर के अंदर खाट था खाट के उपर ललिता मृत अवस्था में सोई हुई थी। मैंने देखा की खाट के चारों पायों के नीचे थालियों में पानी भरकर रखा हुआ था और उपर पंखा चल रहा था। ललिता के शरीर पर चोटे आई हुई थी और उसका मुंह सूजा हुआ था। फिर मृतका की लाश को हॉस्पीटल डूंगरपुर पीएम हेतु लाए थे। पुलिस ने मेरे व पचांग के रूबरू पंचायतनामा बनाया था जो प्रपी 02 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृतका ललिता का अंतिम संस्कार करने हेतु उसकी लाश मृतका के जेठ दीपक को सुपूर्द की थी। फर्द सुपूर्दगीनामा लाश प्रपी 04 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने देवीलाल की निशादेही से मेरे व फुलशंकर के रूबरू घ टनास्थल का मौका देखा था व मौका बनाया था जो प्रपी 03 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मृतका एवं उसके पति के बीच लडाई झगडा चलता था जिसके बारे में उसकी मां ने बताया था व एक दो बार समझाईश करके घर वापस भेजा था। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि प्रपी 2,3, व प्रपी 04 में पुलिस ने क्या लिखा था मुझे नहीं पता। यह सही है कि मैंने कभी ललिता व मनोज के बीच लडाई झगडा होते हुए नहीं देखा था। यह सही है कि ललिता ने मुझे उसके साथ मनोज द्वारा लडाई झगडा व मारपीट करने वाली बात नहीं बताई थी। यह सही है कि ललिता मेरी भतीजी होती है। यह सही है कि मैं कभी भी मनोज को समझाने के लिए उसके घर नहीं गया था। यह सही है कि ललिता की मां फुली के अलावा मुझे और किसी ने ललिता के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। यह सही है कि मनोज को कभी शराब पीते हुए नहीं देखा था। यह सही है कि मनोज अपनी पत्नी ललिता को लेकर उसके ससुराल आता था। यह सही है कि राजी खुशी आते थे। मेरे सामने कभी मनोज को उसकी पत्नी के साथ मारपीट व लडाई झगडा नहीं किया। **यह सही है कि ललिता के शव का अंतिम संस्कार व रीति रिवाज मनोज के घर वालों ने ही किया था।** मैं विनोद कुमार पिता लालुराम

रोत निवासी मांडवा खापरडा को नहीं जानता हूं। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि विनोद ललित के ससुराल के पास स्थित पावरहाउस में नौकरी करता हो। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि विनोद और ललिता के आपस में दोस्ती हो। यह कहना सही है कि ललिता के सिर के उपर किसी प्रकार की चोट नहीं थी। इस घटना के दो तीन महीने पहले ललिता की मां ने झगडा होने वाली बात बताई थी। यह सही है कि झगडा की रिपोर्ट ललिता की मां या किसी ने पुलिस में नहीं की थी। यह सही है कि मैंने मनोज को नहीं देखा था। यह सही है कि ललिता का मनोज के साथ नाता विवाह हुआ था। **यह सही है कि मैने घटनास्थल पर लाश के चेहरे पर चोट के अलावा कुछ नहीं देखा था। मैंने हॉस्पीटल में मृतका की पीठ पर, जांघ पर, गले पर, पेट पर चोट के निशान देखे थे।** यह सही है कि प्रपी 02 मैं नहीं पढा था मुझे पढकर सुनाया था। यह सही है कि प्रपी 02 मे पुलिस ने पेट पर चोट होना नहीं बताया था। मैंने चोट के अलावा और कोई चीज उसके शरीर पर कोई निशान नहीं देखा था। यह सही है कि मृतका के सिर पर कोई चोट नजर नहीं आ रही थी। यह सही है कि प्रपी 02, 03 व प्रपी 04 पर मेरे हस्ताक्षर हॉस्पीटल में करवाये थे। फिर कहां नक्शे मौके पर मेरे हस्ताक्षर ललिता घर पर करवाये थे। मैं ललिता के घर घटना के दिन ही गया था इसके बाद मैं ललिता के घर पर कभी नहीं गया था।

गवाह **पी.ड.3 फुलशंकर** जो कि न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

गवाह **पी.ड.4 शंकरलाल** जो कि 161 ताईदी बयान व फर्द पंचनामा लाश से संबंधित गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि दिनांक 29.06.2024 की बात है। मै मेरी गाडी ट्रक लेकर दुध डेयरी गोकुलपुरा के पास रोड पर खडा था। मेरे उपर मेरे भतीजे देवी लाल का फोन आया और बताया कि मेरी बहन ललिता को मनोज ने मार दिया है तो गांव वीरपुर ललिता के ससुराल जाना है जिस पर मै कालुराम, खातुराम, फुलशंकर, बाबुलाल, देवीलाल, फुलीदेवी, काउडा आदि सभी दस पन्द्रह जने गांव वीरपुर गये। वहां जाकर देखा तो ललिता मरी हुई अवस्था मे खाट पर सोई हुइ थी। ललिता के शरीर पर,सिर पर,मुंह पर,पीठ पर आदि जगह जगह चोटे आई हुई थी। ललिता के साथ जमाई मनोज उर्फ मनीष मारपीट कर ललिता को मार दिया। ललिता के घर वालों ने मुझे बताया कि मनोज आये दिन शराब पीकर ललिता के साथ मारपीट करता था। ललिता की लाश को

पोस्टमार्टम करने के लिए सरकारी हास्पिटल डूंगरपुर लेकर गये थे जहां पर पुलिस ने रूबरू मौतबिरान लाश का पंचनामा किया था जिसकी फर्द मुर्तिब की थी जो प्रपी 2 है जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि ललिता का नाता विवाह हुआ था। यह सही है कि ललिता व मनोज साथ मे ललिता के पीहर आते जाते हो तो मुझे नही पता क्योंकि मेरा घर उनके घर से दुर पडता है। यह सही है कि ललिता का नाता विवाह होने के बाद ललिता से मेरी कोई बातचीत नही हुई। यह सही हे कि ललिता ने मुझे कभी भी मनोज द्वारा मारपीट करने की बात नही बताई थी अजखुद कहा कि मेरी भाभी मुझे बताती थी। ललिता का पति उसके ससुराल कभी कभी आता था लेकिन मै ललिता के घर नही जाता था। यह सही है कि मैने ललिता को मनोज द्वारा मारते हुए नही देखा था। यह सही है कि मै ललिता के ससुराल घटना के पहले कभी नही गया था। **यह सही है कि ललिता का दाह संस्कार उसके ससुराल वालो ने किया था।** ललिता का नाता विवाह डेंढ दो साल पहले हुआ था। देवीलाल और उसकी माता को पता होगा की ललिता और मनोज राजीखुशी रहते थे या नही मुझे पता नही। यह सही है कि प्रपी 2 मे पुलिस वालो ने क्या लिखापढी की थी मुझे पढकर नही सुनाया था। मेरे तो केवल हस्ताक्षर करवाये थे। यह सही है कि मेरे पुलिस बयान मे मनोज द्वारा शराब पीकर मारपीट करने की बात नही लिखाई है। यह सही है कि पुलिस वालों के कहने से मै मनोज का नाम ले रहा हूॅ मैने ललिता कैसे मरी नही सुना।

गवाह **पी.ड.5 विनोद कुमार** जो कि न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

गवाह **पी.ड.6 कालुराम** जो कि 161 ताईदी बयान व फर्द पंचनामालाश से संबंधित गवाह है, ने कथन किया कि करीब साल भर पहले की बात है। मैं बाजार में रिक्शा चला रहा था तब देवीलाल का मुझ पर फोन आया और बताया कि कोतवाली से पुलिस लेने के लिए आई हो और देवीलाल ने कहा कि ललिता की मृत्यु हो गई हो इसलिए अपन सब को विरपुर जाना है, जिस पर बाबुलाल, शंकर, खातुराम, देवीलाल आदि लोगों के साथ मैं भी गया था। वहां पर ललिता को खांट के उपर घर के अंदर सुलाया हुआ था। खांट के चारों पाईयों के नीचे चार स्टील की थालियां रखी हुई थी, जिसमें पानी भरा हुआ था। ललिता के सिर पर एवं शरीर पर जगह जगह चोटें आई हुई थी। ललिता का विवाह मनोज उर्फ मनीष के साथ

करवाया था, जो विरपुर का था। इन दोनों के एक लडकी है। किस कारण से ललिता मरी यह मुझे नहीं पता। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि ललिता का मनोज के साथ आणा विवाह करवाये थे। ललिता व मनोज जब भी गोकुलपुरा आते थे तब राजी खुशी आते हो व जाते हो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैनें कभी इनकों गांव में आते जाते नहीं देखा था। ललिता और उसके पति के बीच कैसा संबंध था इस बारे में मैने कोई सुना था और न ही देखा था। मैं मृत्यु से पूर्व व मृत्यु के बाद ललिता के ससुराल नहीं गया था। यह सही है कि मैने ललिता और मनोज के बीच कभी लडाई झगडाई की बात नहीं सुनी थी। यह सही है कि ललिता के एक पुत्री है जो मनोज के घर पर ही है। ललिता के साथ कैसे घ टना हुई और कैसे मरी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह सही है कि ललिता की मृत्यु के बारे में किसी ने कोई बात नहीं बताई थी। ललिता के ससुराल के पास जीएसएस में विनोद कुमार मांडवा खापरडा का नौकरी करता हो तो मुझे नहीं पता। ललिता और विनोद के बीच प्रेम प्रसंग हो तो मुझे नहीं पता।

गवाह **पी.ड.7 खातुराम** ताईदी बयान 161 व फर्द पंचनामा लाश से संबंधित गवाह है ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किये है कि सन् 2024 के छठे महीने की बात है। मैं गोकुलपुरा गांव में घर पर था। मेरे भाई गणेश ने मुझ पर फोन किया और बताया कि पुलिस वाले आए है और ललिता को मार दिया है इसलिए हम सभी को विरपुर जाना पड़ेगा फिर मैं और गणेश, बाबुलाल, शकर, देवीलाल, गटू आदि सभी विरपुर गये थे। वहां पर ललिता घर के अंदर खांट के उपर मरी हुई देखी थी। ललिता के सिर पर, पीठ पर, पांव पर चोट के निशान थे। ललिता का नाता विवाह विरपुर निवासी मनोज के साथ करवाया था। ललिता और मनोज के एक लडकी है। ललिता किस कारण कैसे मरी यह मुझे पता नहीं। गांव वालो व रिश्तेदारों के साथ में भी डूंगरपुर हॉस्पीटल में गया था। पुलिस ने ललिता की लाश का पंचनामा बनाया था जो प्रपी 02 है, जिस आई से जी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि ललिता का मनोज के साथ आणा विवाह करवाये थे। ललिता व मनोज जब भी गोकुलपुरा आते थे तब राजी खुशी आते हो व जाते हो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैनें कभी इनकों गांव में आते जाते नहीं देखा था। ललिता और उसके पति के बीच प्रेम संबंध थे। इनके बीच लडाई झगडा नहीं देखा था। मैं मृत्यु से पूर्व व मृत्यु के बाद ललिता के ससुराल नहीं गया था। यह सही है कि मैने ललिता और मनोज के बीच कभी लडाई झगडाई की बात

नहीं सुनी थी। यह सही है कि ललिता के एक पुत्री है जो मनोज के घर पर ही है। ललिता के साथ कैसे घटना हुई और कैसे मरी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह सही है कि ललिता की मृत्यु के बारे में किसी ने कोई बात नहीं बताई थी। ललिता के ससुराल के पास जीएसएस में विनोद कुमार मांडवाखापरडा में नौकरी करता हो तो मुझे नहीं पता। ललिता और विनोद के बीच प्रेम प्रसंग हो तो मुझे नहीं पता। यह सही है कि प्रपी 02 पर पुलिस वालों ने हस्ताक्षर थाने में करवाये थे। यह सही है कि पुलिस ने प्रपी 02 पढकर सुनाया नहीं था। यह कहना गलत है कि सिर पर चोट होने वाली बात मै झूठी बता रहा हूं। यह सही है कि प्रपी 02 में पुलिस ने के से एल भाग गलत लिखा है। ललिता की मृत्यु कैसे हुई हो मुझे नहीं पता न ही मैने उसकी मृत्यु के बारे में सुना।

गवाह **पी.ड.8 फुली** जो कि ताईदी बयान 161 से संबंधित गवाह है ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किये है कि गये साल छठे महीने की बात है। पहले मेरी बच्ची की शादी कराई थी। मेरी बच्ची का फोन आया था और फोन पर बताया था कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट कर रहा है और फोन करते करते फोन कट गया ।फिर हमने अपनी बच्ची को फोन किया तो फोन नही लग रहा थां। दो दिन के बाद मेरे पुत्र पर पुलिस वालो का फोन आया कि तुम पुरे परिवार सहित वीरपुर पहुचों।पुलिस वाले और गांव के लोग इकटठे हुए थे मेरी बच्ची के घर ससुराल मे सभी गांव के लोग इकटठे हो गये थे। घर के अंदर मेरी बच्ची मृत अवस्था मे खाट के उपर सोई हुई थी। सिर पर, गाल पर चोट के निशान थे। मेरे जमाई ने ही मेरी बच्ची को मार कर खाट के उपर सुला दिया होगा।मै अनपढ हूॅ। मै पढना लिखना नही जानती हूॅ। मै साईन करना भी नही जानती हूॅ। पुलिस वालों ने आगे की कार्यवाही की।पुलिस वाले मेरी बच्ची को हास्पिटल ले गये थे। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** दो साल पहले मनोज उर्फ मनीष से मेरी पुत्री का नाता विवाह किया था। यह सही है कि मनोज पुर्व मे शादी शुदा नही था। यह सही है कि मेरी पुत्री मेरे जमाई मनोज के साथ एक बार आई थी जो राजीखुशी आई थी। मनोज ने झगडा किया था इसलिए झगडे के फलस्वरूप पीहर मे आई थी। मेरी पुत्री के जेठ जेठानी आकर वापस ले गये थे। मै अपनी बच्ची के ससुराल एक ही बार गई थी जो मेरी बच्ची के डिलेवरी के समय गई थी वापस उसी दिन शाम को मेरे घर आ गई थी। उस समय मेरी पुत्री व मनोज राजीखुशी रहते थे। मेरी पुत्री जब मेरे घर आई थी तब घटना के दो महीने पूूर्व आई थी। यह सही है कि मेरी

पुत्री को मैने मृत अवस्था मे बाहर आंगन से देखी थी। मै कमरे के अंदर नही गई थी। मेरी बच्ची से मेरा पुत्र भी मिला था जब वो घर आई थी। यह सही है कि मेरी पुत्री को उसका जेठ व जेठानी ले गये थे उस समय कोई लिखापढी नही की थी। यह सही है कि मैने मेरी बच्ची के साथ मारपीट बाबत कोई पुलिस मे रिपोर्ट नही दी थी और नही समाज मे किसी को बताया था। यह सही है कि मनोज व मेरी पुत्री के बीच किस बात को लेकर झगडा था मुझे नही पता। जेठ जेठानी आये थे तब मैने झगडे का कारण मनोज के काम पर नही जाने के बारे मे बतोया था। यह मुझे नही पता कि पावर हाउस मे विनोद नाम का कोई व्यक्ति काम करता हो और उससे मेरी पुत्री की मित्रता हो। यह मुझे नही पता कि विनोद मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हो। **यह सही है कि जब मै घटना होने के बाद मनोज के घर गई थी उस समय वहां पर मनोज नही था।** मै जब मनोज के घर गई थी उस समय मनोज के रिश्तेदार आदि मोजुद नही थे। यह सही है कि पुलिस वालो ने मुझे बताया था कि मनोज ने आपकी पुत्री को मारा है। यह सही है कि मृतका मेरी पुत्री कैसे मरी मुझे नही पता। यह सही है कि मनोज के परिवार के लोगो ने ही अंतिम संस्कार किया था। यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री के सिर पर चोट नही हो।

गवाह **पी.ड.9 दिनेश जो चिकित्सकीय साक्ष्य है, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि** मैं दिनांक 29.06.2024 को सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर मे मेडिकल ज्युरिष्ठ के पद पर कार्यरत था. उस रोज पुलिस थाना कोतवाली में शव का पोस्टमार्टम हेतु अधिक्षक महोदय को एक तेहरीर दि गयी थी जिस पर अधिक्षक महोदय ने 29.06.2024 को एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जिसमे मै, डॉ. राजेश रोत एवं डॉ. रामकिशोर रोत शव परिक्षण हेतु नियुक्त किया गया तेहरीर प्रपी 6 है जिस पर ऐ से बी अधिक्षक महोदय के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है, ई से एफ डॉ. राजेश रोत जी से एच डॉ. रामकिशोर रोत के हस्ताक्षर है इनके साथ मै काम करने से उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। मृतक श्रीमती ललिता बामणिया पत्नि मनोज उर्फ मनिष का का पोस्टमार्टम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गयी थी जो प्रदर्श पी 7 है। जिस मर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है सी से डी डॉ. राजेश रोत के हस्ताक्षर है ई सु एफ डॉ. रामकिशोर के हस्ताक्षर है जी से एच हमारी राय अंकित है। जिसमे मृतका की शिनाख्ती देवीलाल पिता हांजा कटारा (मृतका का भाई) एवं सीआई भगवानलाल थानाधिकारी कोतवाली द्वारा की गयी थी। मृतका का पोस्टमार्टम हेतु 6.

05 पीएम से लेकर 7.20 पीएम तक समाप्त किया गया था। इसके शरिर पर रायगर मोर्टिस उपस्थित थी एवं पोस्टमार्टम स्टेनिंग शरिर के पिछले भाग एवं फिक्सड थी। परिक्षण दौरान मृतक के शरीर पर जो चोटे थी उसमें चोट संख्या 1 फरंन्टो पेराईटल भाग पर डिफयुरुड स्वेलिंग थी। जिसे खोलने पर सब स्कैल्प हीमेटोमा उपस्थित था व भस्तिष्क में सब डॅयुरल हेमरेज ऑक्सीपिटल पेराईल टेम्पोरल भाग पर था। 2. सिर के दाये भाग पर निलगु का निशान जिसकी लम्बाई 2.5 सेमी गुणा 1 सेमी की थी।3. दाथी ऑरबीट के निचले भाग पर निलगु का निशान 3 सेमी गुणा 1.5 सेमी का था। 4. नाक के उपरी भाग पर निलगु का निशान 1 सेमी गुणा 05 सेमी का था। 5. बायी ऑरबीट के निचले भाग पर निलगु का निशान था। 6. बायी गाल पर निलगु का निशान 8 रोमी गुणा 6 सेमी का निशान । 7. बाये साल के निचले भाग पर, दाढी पर, मुँह के दाये भाग पर, गले के दाये भाग पर क्रमशः निलगु का निशान 1 सेमी गुणा 0.5, 0.5 गुणा 0.5, 1 सेमी गुणा 0.5 सेमी की थी। 8. सीने उपरी भाग पर खरोंच का निशान 5 सेगी गुणा 0.3 सेमी 9. होठ के उपरी भाग पर निलगु के निशान जिसकी लंम्बाई 0.5 गुणा 0.3 गुम्मा, 0.3 गुणा 0.1 सेमी. 0.1 गुणा 0.1 सेमी की थी। 10. होठ के निचले भाग पर निलगु के निशान जिसकी लंम्बाई 1.5 गुणा 05 गुणा, 0.5 गुणा 0.5 सेमी, 0.3 गुणा 0.2 सेमी की थी। 11. गले के बायी भाग पर निलगु का निशान 4 सेमी गुणा 1 सेमी का था। 12. दाये कंधे पर निलगु का निशान 1 सेमी गुणा 0.5 सेमी का था। 13. बाथी कोहनी एवं कोहनी से कलाई के बिच पर खरोच का निशान कमश सेमी गुणा 1 सेमी 0.5 0.5 सेमी गुणा 0.3.1 सेमी गुणा 0.4 सेमी। 14. बायी कोहनी पर खरोच का निशान जिसकी लंम्बाई सेमी गुणा 1 सेमी०. 5 सेमी, 0.5 सेमी गुणा 0.5, 0.3 सेमी गुणा 0.1 सेमी एवं कलाई पर 1 सेमी गुणा 0.8 सेमी । 15. दायी जांघ पर कई निलगु के निशान थे जिनकी लंम्बाई 6 समी गुणा 6 सेमी, 5 सेमी गुणा 2 सेमी, 4 सेमी गुणा 2 सेमी की थी। 16. बायी पीठ पर एवं कमर पर निलगु का निशान जिनकी लंम्बाई क्रमशः 8 सेमी गुणा 4 सेमी, 6 सेमी गुणा 5 सेमी का था। 17. दाये एवं बाये कुल्हे पर निलगु का निशान जिनकी लंम्बाई कमशः 12 सेमी गुणा 8 सेमी, 10 सेमी गुणा 9.5 सेमी की थी। 18. दाया गुठना, लेग (स:बह), पैर (फुट) पर कई निलगु के निशान थे जिनकी लम्बाई कमशः 2 सेमी गुणा 1.5 सेमी, 1 सेमी गुणा 0.5 सेमी. 1 सेमी गुणा 0.3 सेमी की थी। 19. बाये लेग (स्मह), पैर (फुट) एवं एन्कल जॉईन्ट (।दासम) पर कई निलगु के निशान थे जिनकी लंम्बाई कमशः 1 सेमी गुणा 1 सेमी, 1 सेमी गुणा 0.5 सेमी, 0.5

सेमी गुणा 0.3 सेमी की थी। 20. बाये हाथ के रिंग फिंगर के नाखुन, इंडेक्स फिंगर, लास्ट फिंगर टुटे हुए थे। उक्त सभी चोटे मृत्यु के पूर्व की थी उक्त चोटो की अवधि 6 घटे के भीतर की थी एवं कुंद आलय से कारित थी। मेडिकल बोर्ड की मे मृतका की मृत्यु के पुर्व सीर, फेस व अन्य शरीर पर कई चोटे आने से आघात में जाने के कारण हुई। मृतका की अंतिम मृत्यु की राय सेम्पल रिर्पोट आने के बाद दी जायेगी। मृतका के पॉईजन की जांच हेतु सेम्पल विसरा लिया गया था जो निम्नानुसार है सेंम्पल नम्बर 01 स्टोमक व आंत, रोच्युरेटेड कॉमन साल्ट। सेम्पल नम्बर 02 लिवर, स्पीलिन, किडनी के टुकडे, सेच्युरेटेड कॉमन साल्ट सेम्पल नम्बर 03–ब्लड सेम्पल डीएनए प्रोफाईल हेतु दाये और बाये हाथ के नाखुनो के संम्पल, एवं एफटीए कार्ड पर ब्लड का सेम्पल लेकर उपरोक्त सभी सेम्पलो को नियमानुसार सीलचीट साथ आये पुलिस कर्मी को सुपुर्द कर दिये थे। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह कहना सही है कि चोट सं. 1.9 व 10 को छोडकर सभी चोटे सामान्य प्रकार की है। यह सही है कि उचाई से किसी पथरिली एवं ढलान वाली सतह पर लुढकते हुए कोई व्यक्ति गीर जाये तो आना संभव है अज खुद कहा निलगु चोट को छोडकर। यह सही है कि चोट संख्या 1 से लेकर 5 तक सिने के उपरी हिस्से पर आयी हुई है। यह सही हे कि मृतका का पीएम उसी रोज शाम को किया था। उस समय रायगर मोरटिस पुरे शरिर पर मौजुद था। सेम्पल पर शिल लगाने की नमुना शिल हमारे पास मौजुद रहती है जो मेडिकल ज्युरिष्ठ फौरेंसिंक विभाग में रहती है।

गवाह **पी.ड.10 प्रहलाद सिंह** जो कि पेशशुदा रिपोर्ट थाने पर लाकर पेश करना एवं फर्द गिरफतारी, तस्दीक घटना स्थल, फर्द बरामदगी पाईप, व बरामदगी स्थल की ताईद का गवाह है ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक 29.06.2024 को पुलिस थाना कोतवाली मे कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन बमुकाम मोर्चरी डूंगरपुर मे प्रार्थी देवीलाल द्वारा दी गई टाईप शुदा रिपोर्ट प्रपी 1 मेरे साथ थाने पर एफआईआर दर्ज करवाने हेतू दी थी। प्रकरण संख्या 268/2024 मे आईओ ने मेरे व जितेन्द्र सिंह के रूबरू दिनांक 02.07.2024 को अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष पिता रामजी बामणिया निवासी विरपुर को गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रपी 8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त के पास से दो मोबाईल आईटेल कंपनी के जिसमे से एक किपैड एवं एक एन्ड्रोयड व आधार कार्ड मिला था जिसे कब्जे पुलिस लिया था। इसी प्रकरण मे दिनांक 03.07.2024

को अभियुक्त के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सुचना के मुताबिक मेरे व जितेन्द्रसिंह के रूबरू घटना स्थल की मौका तस्दीक करवायी थी जिसकी फर्द मौका तस्दीक बनायी गयी थी जो प्रपी 11 है जिस पर ऐ से बी मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिन उसी प्रकरण मे अभियुक्त की निशादेही से अभियुक्त के मकान से एक स्टील का पाईप घटना मे प्रयुक्त बरामद करवाया था जिसे एक कपडे की थैली मे रखकर शिलचिट कर मार्क ए अंकित किया था। जिसकी फर्द बरामदगी स्टील का पाईप प्रपी 12 है जिस पर ऐ से बी मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिन अभियुक्त मनोज के निशा देही से आई ओ ने मेरे व कानि जितेन्द्र सिंह के रूबरू फर्द तस्दीक बरामदगी स्थल मय नक्शा नजरी बनाया जो प्रपी 13 है जिस पर ऐ से बी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह कहनाा सही है कि प्रपी 1 रिपोर्ट होस्पिटल मे पेश की थी यह सही है कि प्रार्थी देवीलाल रिपोर्ट प्रपी 1 टाईप करावा कर लेकर आया था। टाईप कहां करवायी मुझे नही पता। प्रपी 1 पर मेरे हस्ताक्षर नही है। यह सही है कि चॉक एफआईआर प्रडी 1 पर भी मेरे हस्ताक्षर नही है। मै घटना के दिन मौके पर नही गया था घटना होने के बाद गया था। अभियुक्त की गिरप्तारी थाने पर बनायी थी अभियुक्त को बाहर से डिटेन करके लेकर आये थे। यह सही है कि जामा तलाशी मैने नही लि थी अज खुद कहा मेरे सामने कानि. जितेन्द्रसिंह द्वारा लि गयी थी। यह सही है कि जितेन्द्रसिंह की जामा तलाशी मेरे व अनुसंधान अधिकारी द्वारा नही लि गयी थी। यह सही है कि मोबाईल डिटेन किये थे उस मोबाईल बिल वगैरह नही लिये थे। यह सही है कि उक्त मोबाईलो की जप्ती नही बनायी थी कब्जे पुलिस लिये थे। यह कहना सही है कि प्रपी 11 व 13 पहाडी पर स्थित है वहां पर चार पांच मकान है। यह कहना सही है कि प्रपी 11व 13 पर कोई स्वतंत्र गवाह नही है। यह कहना सही है कि मकान के पास मे पावर हाउस स्थित है। यह कहना सही है कि जप्त शुदा पाईप सामान्यतः हर जगह मिल जाता है। प्रपी 11, 12 व 13 अनुसंधान अधिकारी की हस्त कलमी है। यह सही है कि प्रपी 11,12,13 तीनो एक ही दिन बनायी थी। यह कहना सही है कि हम घटना स्थल पर प्रपी 11,12,13 बनाने से पुर्व गये थे लेकिन घर के अंन्दर नही गये थे। उस दिन हम घटना स्थल पर शाम को गये थे। प्रपी 11,12,13 बनाने मे लगभग 2 घंटे का समय लगा था।

गवाह **पी.ड.11 जितेन्द्रसिंह** जो कि फर्द गिरफतारी, तस्दीक घटना स्थल, फर्द बरामदगी पाईप, व बरामदगी स्थल व धारा 65 बी प्रमाण पत्र की ताईद का गवाह है

ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक 29.06.2024 को पुलिस थाना कोतवाली मे कानि के पद पर कार्यरत था। प्रकरण संख्या 268 / 2024 मे आईओ ने मेरे व प्रहलादसिंह के रूबरू दिनांक 02.07.2024 को अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष पिता रामजी बामणिया निवासी विरपुर को गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रपी 8 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त के पास से दो मोबाईल आईटेल कंपनी के जिसमे से एक किपैड एवं एक एन्ड्रोयड व आधार कार्ड मिला था जिसे कब्जे पुलिस लिया था। इसी प्रकरण मे दिनांक 03.07.2024 को अभियुक्त के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सुचना के मुताबिक मेरे व प्रहलादसिंह के रूबरू घटना स्थल की मौका तस्दीक अभियुक्त ने करवायी थी जिसकी फर्द मौका तस्दीक मय नक्शा नजरी बनायी गयी थी जो प्रपी 11 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिन उसी प्रकरण मे अभियुक्त की निशादेही से अभियुक्त ने स्वंय के मकान से एक स्टील का पाईप घटना मे प्रयुक्त मेरे व प्रहलादसिंह के रूबरू बरामद करवाया था जिसे एक कपडे की थैली मे रखकर शिलचिट कर मार्क ए अंकित किया था। जिसकी फर्द बरामदगी स्टील का पाईप प्रपी 12 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी दिन अभियुक्त मनोज के निशा देही से आई ओ ने मेरे व कानि प्रहलादसिंह के रूबरू फर्द तस्दीक बरामदगी स्थल मय नक्शा नजरी बनाया जो प्रपी 13 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। घटना स्थल तस्दीक व बरामदगी स्थल की विडियो ग्राफी व फर्द जप्ती पाईप मेरे स्वंय के मोबाईल से कर पेन ड्राईव मे तैयार कर आई ओ को संभवाया था। पेन ड्राईव आर्टिकल 1 है। जिसका 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मेरे द्वारा दिया गया था जो प्रपी 14 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि यह सही है कि** बरामदगी स्थल के स्वामित्व बाबत मेरे सामने कोई दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी ने नही लिया था। बरामदगी से पुर्व घटना स्थल पर मै गया था। उस समय मेरे द्वारा कोई विडियो ग्राफी नही की थी। यह सही है कि जब पुर्व मे मै घटना स्थल पर गया था उस समय मैने अभियुक्त के मकान पर स्टील का पाईप नही देखा था। मेरे द्वारा अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी थी। जामा तलाशी मे अभियुक्त के पास दो मोबाईल व एक आधार कार्ड अभियुक्त स्वंय का मिला। मोबाईल के किसके नाम से थे इस संबंध मे तप्तीश अनुसंधान अधिकारी ने की थी। यह सही है कि डिटेन शुदा मोबाईल की जप्ती नही बनायी थी अज खुद कहा कि अनुसंधान मे सहायक होने से कब्जे पुलिस लिया था।

डिटेन शुदा मोबाईल अभी कहां पर है मै नही बता सकता हू। यह सही है कि घटना स्थल व बरामदगी स्थल तस्दीक के आस पास चार पांच मकान है। प्रपी 11,12,13 बनाते समय अन्य लोग नही आये थे। यह सही है कि प्रपी 11,12,13 बनाते समय गवाह के रूप मे पुलिस कर्मचारी ही है अज खुद कहा स्वतंत्र मौतबिर नही होने से मुझे व प्रहलादसिंह को गवाह बनाये थे। अनुसंधान अधिकारी व हमारे द्वारा आस पास स्वतंत्र गवाह की तलाश की थी पर कोई नही मिला था। हम बरामदगी स्थल पर थाने से पांच बजे रवाना हुए थे और साढे पांच बजे के लगभग पहुच गये थे। आर्टिकल 1 मेरे खुद के मोबाईल द्वारा बनाया था। आर्टिकल 1 बनाने बाबत मोबाईल मेरे स्वंय का है इस बाबत मोबाईल का बील अनुसंधान अधिकारी ने मेरे द्वारा नही लिया था। मैने आर्टिकल 1 मेरे स्वंय के कंम्प्युटर के द्वारा बनाया था। मेरे स्वंय का कंम्प्युटर थाने पर है वो मेरा निजी कंम्प्युटर है। 65 बी का प्रमाण पत्र मेरे द्वारा तैयार कर हस्ताक्षर किये थे। यह सही है कि बरामद शुदा पाईप आम तौर पर हर घर पर मिल जाता है।

गवाह **पी.ड.12 प्रकाश** जो कि फर्द सुपूर्दगी लाश का गवाह है ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि करीब साल भर पहले की बात है। मेरे गांव मे मनोज की पत्नि ललीता की मृत्यु हो जाने से मै गांव वालो के साथ मै भी अस्पताल गया था। वहां पर पुलिस ने मेरे सामने मृतका ललीता के शव का पीएम हो जाने के बाद उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने हेतु परिवार वालो को दि थी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रपी 4 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** प्रपी 4 पर हस्ताक्षर होस्पिटल मे करवाये थे। यह सही है कि मृतका के परिवार मे किसको लाश सुपुर्द की उसका नाम मुझे पता नही है। यह सही है कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई वो मुझे नही पता है। मेरे अलावा प्रपी 4 पर किसके हस्ताक्षर किये वो मुझे पता नही है।यह सही हे कि ललिता के मृत्यु के बाद मै मुझे पता नही चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई।

गवाह **पी.ड.13 अर्जुन सिंह** जो कि सेम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयुपर जमा करने की ताईदी का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक 8.7.2024 को पुलिस थाना कोतवाली मे कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 268/2024 धारा 302 भा.द.स. मे मृतका ललिता के एमओ साहब द्वारा लिये गये सेम्पल मालखाना इचांर्ज ने एसपी कार्यालय से कागजात तैयार करवाने हेतू मुझे सभलवाये थे जिसे लेकर मै एसपी कार्यालय डूंगरपुर पहूच

कागजात तैयार करवा शाम को समय अधिक हो जाने से वापस थाने गया और मालखाना इचांर्ज को संभलवाये। दुसरे दिन कागजात व आर्टिकल प्राप्त कर एफएसएल उदयपुर पहूच उक्त सिलचिट शुदा आर्टिकल जमा करवा जमा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर मालखाना इचार्ज को लाकर सुपुर्द की। पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रपी 15 है ।एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रपी 16 है जिसके प्रष्ठ भाग मे ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जमा प्राप्ति रसीद प्रपी 17 है। गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि यह सही है कि आर्टिकल व अग्रेषण पत्र थाने का मैने एसपी कार्यालय मे दे दिया था। आर्टिकल एसपी कार्यालय वालों के पास थे। मै एसपी आफिस के बाहर बैठा था एवं आर्टिकल अंदर एसपी कार्यालय मे थे। प्रपी 15 का ए से बी भाग मेरे द्वारा लिखा गया है अजखुद कहा कि प्रपी 16 पर ए से बी भाग देखकर कहा कि मेरे द्वारा नही लिखा गया है। यह मुझे नही पता कि मै थाने से उक्त आर्टिकल लेकर कितने बजे एसपी कार्यालय के लिए रवाना हुआ। एसपी कार्यालय से मै वापस थाने पर कितने बजे गया मुझे पता नही है। एसपी कार्यालय मे कागज तैयार करवाने मे मुझे पूरा दिन लगा था। यह सही है कि थाने से एसपी कार्यालय जाने का रोजनामचा बनाया था मुझे पता नही है। मैने पत्रावली मे देखकर थाने से रवानगी बताई है। आर्टिकल एसपी कार्यालय ले जाने के मुझे मालखाना इंचार्ज ने सुपुर्द किये इस बाबत मालखाना रजिस्टर पर मालखाना इंचार्ज ने साईन करवाये थे। यह सही है कि आर्टिकल मे क्या था मुझे पता नही।

गवाह पी.ड.14 अमृतलाल जो कि एफएसएल जमा कराने का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक 08.07.2024 को पुलिस थाना कोतवाली में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 268/2024 धारा 302, भा.द.स मे एमओ साहब द्वारा मृतका ललिता व अभियुक्त मनीष के सेम्पल व विसरा की एफएसएल जाचं कराने हेतू एफएसएल जयपुर के अग्रेषण पत्र एवं आर्टिकल लेकर एसपी कार्यालय डूंगरपुर पहूच कागजात तैयार करवा उसी दिन शाम को एफएसएल जपुयर के लिए रवाना हो दुसरे दिनांक 9.7.2024 जयपुर पहूचा आर्टिकल जमा करवा, जमा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर दिनांक 10.7.2024 को थाने पर पहुंच मालखाना इचार्ज को सुपुर्द की। पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रपी 18 व एसपी साहब के अग्रेषण पत्र प्रपी 19 है जिसके प्रष्ठ भाग मे ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जमा प्राप्ति रसीदें प्रपी 20 है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** मै थाने से कितने बजे रवाना हुआ आज याद नही है। मैं एसपी

आफिस शाम पांच बजे तक रूका था। यह सही है कि मैने आर्टिकल एसपी आफिस वालों को दे दिये थे। यह कहना गलत है कि मैं एसपी आफिस मे बाहर बैठा होउ बल्कि कमरे में बैठा था। यह कहना गलत है कि मै लघ गुशंका के लिए बाहर गया होउ। यहसही है कि आर्टिकल मै कितने लेकर गया पता नही है। यह सही है कि आर्टिकल सिलचिट थे अंदर क्या था मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि एसपी आफिस के रूम से कर्मचारी लंच के समय गये हो। मै शाम को पांच बजे तक वही पर बैठा रहा था। यह सही है कि आर्टिकल मै अग्रेषण पत्र बनवाने गया तब से उनके पास मे थे। मुझे आर्टिकल शाम के पांच बजे बाद मिले थे। एसपी आफिस मे जिस जगह मै अग्रेषण पत्र बनवाने गया उस जगह एक ही हॉल है। यह कहना गलत है कि मैं फेश होने नहीं गया होउ बल्कि गया था अजखुद कहा कि मैं आर्टिकल जमा कराने के बाद गया था। मैने आर्टिकल दस बजे जमा करा दिये थे। यह सही है कि प्रपी 20 मे मेरे द्वारा दस बजे आर्टिकल जमा कराने का अंकन नहीं है। मुझे याद नही है कि मैं इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरण के आर्टिकल भी लेकर गया या नही।

गवाह **पी.ड.15 पुनित दवे** जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट की ताईद कर धारा 65 बी प्रमाण पत्र की ताईदी का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मैं दिनांक 29.06.2024 को प्रयोगशाला सहायक मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बांसवाडा में कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना कोतवाली के थाना अधिकारी की सूचना पर प्रकरण संख्या 268ध्2024 धारा 302 भादस में घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल के फोटोग्राफ लिए थे। घटनास्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई थी जो प्रपी 21 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। रिपोर्ट को जरिये एसपी साहब भेजा गया था। एसपी साहब का पत्र प्रपी. 22 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। घटनास्थल सें लिए गए फोटोग्राफ प्रपी. 23 से लगायत 27 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। घटनास्थल के फोटोग्राफ राजकीय डिजिटल कैमरे से मेरे द्वारा लिए गए थे, जिसमें बिना किसी छेडछाड काटछाट के प्रिन्ट निकलवाकर पेश किए गए, जिसका 65 बी का प्रमाण पत्र प्रपी. 28 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि मैं प्रयोगशाला सहायक मोबाईल फोरेंसिक यूनिट बांसवाडा में कार्यरत था. इस बाबत् नियुक्ति पत्र मेरा पुलिस ने नहीं लिया है। यह सही है कि उस समय मेरी पदस्थापन एफएसएल कार्यालय उदयपुर में था। यह सही है कि मैं जब मौके पर गया उस समय मुझे वहां

घटना संबंधी कोई आलामात नजर नहीं आ रहे थे। यह सही है कि मैने घटनास्थल पर कोई खून एवं मृतका को नहीं देखा था। यह सही है कि पुलिस ने मुझे घ टनास्थल पर आने की लिखित में कोई तहरीर नहीं दी थी। यह सही है कि घ टनास्थल पहाडी इलाका है, ढलान एवं चढाव है, बडे–बडे पत्थर आदि है। यह सही है कि 65 बी भारतीय साक्ष्य अधि नियम प्रमाण पत्र में जिस कैमरे से फोटो लिए उसका मॉडल और कंपनी का नाम नहीं लिखा है। फोटोग्राफ की प्रिन्ट मैंने आनन्द फोटो कलर लैब से कराई थी। जिसका बिल आदि मैंने पुलिस को पेश नही किया। यह सही है कि आनन्द फोटो लैब प्राईवेट है। यह सही है कि 65 बी प्रमाण पत्र में फोटो प्रिन्ट कब कराए उस तारीख का अंकन नही है। यह सही है कि अनुसंधान अधिकारी ने मेरे बयान नहीं लिए थे एवं नहीं पूछताछ की थी।

गवाह **पी.ड.16 जीवराम** जो कि मालखाना रजिस्टर की ताईदी का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मैं दिनांक 01.07.2024 को पुलिस थाना कोतवाली में हैड कानि के पद पर मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 268/2024 धारा 302 भादसं में अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में मृतका ललिता के एमओ साहब द्वारा वक्त पीएम लिए गये तीन सिलचिट शुदा सैम्पल जमा करवाये, जिसे मैने मालखाना रजि. के क्रमांक 672 के क्रम संख्या 01 से 03 पर इंद्राज कर जमा लिया एंव दिनांक 03.07.2024 को अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष से एमओ साहब द्वारा दिए गये सैम्पल सिलचिट शुदा 02 आर्टिकल मुझे लाकर दिये, जिसे मैने मालखाना रजि. के क्रमांक 672 के क्रम संख्या 4 व 5 पर इंद्राज कर जमा लिया। दिनांक 03.07.2024 को मृतका ललिता की लाश से एमओ साहब द्वारा दिये गये सैम्पल विसरा आदि आईओ ने लाकर मुझे संभलवाये जिसे मैने मालखाना रजि. के क्रमा 673 के क्रम संख्या 1 से 3 पर इंद्राज कर जमा लिया। दिनांक 08.07.2024 को अनुसंधान अधिकारी के निर्देशन में विशेष वाहक अमृतलाल को एफएसएल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर क्रमांक 672 पर दर्ज 5 आर्टिकल ममय कागजात संभलवाये जिसे एसपी कार्यालय पहुंच अग्रेषण पत्र तैयार करा उसी दिन जयपुर के लिए रवाना हो। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में आर्टिकल जमा करा जमा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पुन थाने पर लौट रसीद मुझे संभलवाई, जिसे दिनांक 10.07.2024 को मालखाना रजि. में इंद्राज कर जमा रसीद आईओ को संभलवाई। दिनांक 08.07.2024 को विशेष वाहक कानि अर्जुन सिंह को एफएसएल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर क्रमांक 673

पर दर्ज कम संख्या 1 से 3 के तीन आर्टिकल मय कागजात संभलवाये जिसे एसपी कार्यालय डूंगरपुर पहुंच अग्रेषण पत्र तैयार करा उस दिन समय अधिक हो जाने से शाम को थाने पर पहुंच सीलचिट शुदा आर्टिकल मय कागजात लाकर मुझे संभलवाये जिसे मैने मालखाना रजि. में दर्ज कर जमा लिया। दिनांक 09.07.2024 को आर्टिकल मय कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा कराने हेतु विशेष वाहक अर्जुन सिंह को मालखाना रजि. में इंद्राज कर संभलवाये। विशेष वाहक एफएसएल उदयपुर के लिए रवाना हो विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर पहुंच आर्टिकल जमा करा जमा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर पुनः थाने पर लौट कर रसीद मुझे संभलवाई, जिसे दिनांक 09.07.2024 को मालखाना रजि. में इंद्राज कर जमा रसीद आईओ को संभलवाई। मालखाना रजि. प्रपी 29 है और मालखाना रजि. की नकल प्रपी 29 ए है, जिस पर ए से बी अमृतलाल के हस्ताक्षर है व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है और ई से एफ अर्जुन सिंह के हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि मालखाना रजि. के कमांक 670, 671 का इंद्राज मैने दिनांक 01.07.2024 को किया था। यह सही है कि मालखाना रजि. के कमांक 672 एक्स स्थान पर दिनांक 29.06.2024 लिखा हुआ है अजखुद कहा कि दिनांक 29.06.2024 एफआईआर संख्या के आगे लिखी हुई है जो कि एफआईआर की दिनांक है। यह कहना सही है कि कॉलम संख्या 09 में एक्स स्थान पर दिनांक 29.06.2024 लिखी है जो थाने पर प्राप्ति के कॉलम में लिखा हुआ अजखुद कहा कि एफआईआर 268 कि आगे कॉलम में लिखा हुआ है। कॉलम नंबर 09 में दो दिनांके लिखी हुई है। यह कहना सही है कि आर्टिकल मुझे सिलचिट अवस्था में मिले थे। यह कहना गलत है कि मालखाना मुझे एक ही दिन में मिला हो बल्कि अलग अलग तारीखों में मिला था। यह कहना सही है कि दिनांक 03.07.2024 को मिले आर्टिकल में मैने कमांक नहीं डाला है।मैने आर्टिकल एफएसएल जांच हेतु थानाधिकारी के निर्देशन पर भेजा था। यह सही है कि निर्देशन मुझे लिखित में नहीं दिया था। यह कहना सही है कि दिनांक 08.07.2024 को अग्रेषण पत्र तैयार करवाने के बाद आर्टिकल मुझे पुन प्राप्त हुए थे। यह कहना गलत है कि दिनांक 08.07.2024 को आर्टिकल पुन जमा करवाने के हस्ताक्षर नहीं हो। यह कहना गलत है कि मैने अग्रेषण पत्र तैयार करवाने हेतु मैने अर्जून सिंह को नहीं भेजा हो। यह कहना सही है कि पुनः आर्टिकल अर्जून सिंह ने मुझे लौटाया उस समय का अंकन नहीं है अजखुद कहा कि शाम को लौटाए थे। यह सही है कि आर्टिकल मैने कितने दिये थे और कितने

आकर वापस जमा कराये इसका अंकन दिनांक 8.7.2024 मे नही है अजखुद कहा कि तीन आर्टिकल अग्रेषण पत्र बनावने हेतू दिये थे जिन्हे शाम को तीन आर्टिकल वापस लाकर जमा करवाये थे।आर्टिकल के अंदर क्या था मुझे पता नही। पता नही चिट के उपर लिखा था उसके आधार प बता सकता हूँ।

गवाह **पी.ड.17 आदित्य मेहता** जो कि मौके की फोटोग्राफी एवं वीडीओ सीडी व धारा 65 बी प्रमाण पत्र की ताईद का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक 29.06.2024 को एसपी कार्यालय एमआईयु युनिट मे कानि के पद कार्यरत था। उस दिन विरपुर मे घटना स्थल के फोटोग्राफ एमआईयु युनिट के कैमरे से मेरे द्वारा लिये गये थे जो प्रपी 30 एवं 31 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिसका 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मेरे द्वारा दिया गया था जो प्रपी 32 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा खिंचे गये फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी की पेन ड्राईव आर्टिकल 1 है एवं विडियोग्राफी की सीडी आर्टिकल 2 है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह कहना सही है कि प्रपी 30 पर फोटोग्राफ खिचने की दिनांक का अंकन नही है। आर्टिकल 1 एचपी की थी सीडी किस कंपनी की मेरे को जानकारी नही है। यह कहना सही है कि आर्टिकल 1 व 2 के लिफाफे के उपर पेन ड्राईव व सीडि किस कंपनी की है यह लिखा हुआ नही है ना ही पेन डाईव कितने जीबी का यह लिखा है। पेन ड्राईव सनराईज कम्पयुटर से लाया था। यह कहनाा सही है कि पेन ड्राईव व सीडी जहां से लेकर आया था उसका बील मैने प्रस्तुत नही किया है। यह कहना गलत है कि मैने पेन ड्राईव व सीडी बनायी थी वह थाने के कंम्पयुटर से बनायी थी। अज खुद कहा कि मेरे निजी कंम्प्युटर से हमारे ऑफिस मे बनाया था। यह कहना सही है कि मैने निजी कंम्प्युटर मेरे ऑफिस मे लगाया है इसका कोई बील व दस्तावेज मेने पेश नही किये है और ना ही आईओ ने मेरे से मांगे है। मैने फोटो मार्केट से निकलवाये थे किस दुकान से निकलवाये थे मेरे को याद नही है। यह कहना गलत है कि मै फोटो निकलवाते वक्त मौके पर नही हो। यह कहना गलत है कि पेन ड्राईव से लिये गये फोटो मे एडिटींग नही हो सकती है। यह कहना गलत है कि प्रपी 32 मेरे द्वारा टाईप नही की गयी हो बल्कि मेरे द्वारा टाईप की गयी थी। मैने फोटोग्राफ जिस दिन खिंचे उसी दिन अनुसंधान अधिकारी को दे दिये थे। यह कहना गलत है कि प्रपी 32 मेरे द्वारा बनाया गया उस समय मेरे पास फोटोग्राफस नही हो। मेरा कंम्प्युटर एचपी कंपनी का है प्रपी 32 मे इसका कंपनी का अंकन नही है। यह सही

है कि मेरे 65 बी के प्रमाण पत्र मे फोटो डवलप कराने वाली फर्म व सीडी व पेन ड्राईव जहां से खरिदी थी उस फर्म का नाम अंकित नही है।

गवाह **पी.ड.18 भगवानलाल जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने थाना तफ्तीश के संबंध में साक्ष्य देते हुये अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि** दिनांक 29.6.2024 को मै थानाधिकारी थाना कोतवाली डूंगरपुर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन जरिए मोबाईल सूचना मिली थी कि बिलडी पंचायत भवन के पीछे मर्डर हो गया है। वगैराह सूचना पर मन थानाधिकारीमय जाब्ता के थाने से रवाना होकर पंचायत भवन बिलडी सरहद वीरपुर मनोज उर्फ मनीष पिता रामजी बामणिया के मकान पर पहुंचा जहां सरपंच एवं अन्य मोतबिर लोग उपस्थित मिले। उक्त मोतबिरान की उपस्थिति में मनोज उर्फ मनीष के मकान का ताला खुलवा कर अंदर प्रवेश कर देखा तो एक महिला की लाश खांट पर सुलाई हुई पडी हुई पाई गई। जिसके जगह बजगह शरीर पर चोटे आई हुई नजर आ रही थी। जिस पर मृतका ललिता के पीहर पक्ष को तलब किया गया। मौके पर एमओबी एवं फोरेंसिक यूनिट को भी बुलाया गया। मृतका के पीहर पक्ष से उसके परिजन मौके पर उपस्थित होने पर मृतका के भाई देवीलाल ने मृतका की उसकी बहन ललिता होने की पुष्टि की। मृतका के परिजनो की उपस्थिति मे डेड बॉडी को उसके मकान से जिला चिकित्सालय डूंगरपुर लाया गया। चिकित्सालय मे डॉ. द्वारा मृत घोषित करने पर डेड बॉडी को मोर्चरी जिला चिकित्सालय में रखवाया गया। प्रार्थी देवीलाल द्वारा एक टाईपशुदा रिपोर्ट बमुकाम मोर्चरी पर दी गई। जिस पर कार्यवाही पुलिस का अंकन कर प्रकरण दर्ज करने हेतु कानि प्रहलाद सिंह 329 के साथ थाने पर भिजवाया गया जिस पर डयूटी अधिकारी श्रीमति पुष्पा एस सी 53 द्वारा प्रकरण सं. 268/2024 धारा 302 भादस में पंजीकृत किया। रिपोर्ट प्रपी 1 है जिस पर ए से बी प्रार्थी देवीलाल के और सी से डी मेरी कार्यवाही पुलिस का पुष्ठांकन है ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। जी से एच ड्यूटी अधिकारी का पृष्ठांकन है। आई से जे ड्यूटी अधिकारी श्रीमति पुष्पा के हस्ताक्षर है। प्रकरण की चाक एफआईआर प्रपी 33 है। जिस पर ए से बी श्रीमति पुष्पा ड्यूटी अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर है। मृतका ललिता की लाश का फर्द पंचायतनामा लाश मूर्तिब किया गया। जो प्रपी 2 है। जिस पर ए से बी प्रार्थी देवीलाल, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल मोतबिरान के हस्ताक्षर है। एम से एन मेरे हस्ताक्षर है। श्रीमान पीएमओ साहब श्रीहरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर को मृतका के पोस्टमार्टम हेतु

तहरीर दी गई जो प्रपी 6 है। आई से जे मेरे हस्ताक्षर है। बाद पीएम डेडबॉडी को मृतका के जेठ दीपक पिता रामजी बामणिया को सुपूर्द की गई जो प्रपी 4 है। जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबिरान के हस्ताक्षर ई से एफ लाश को प्राप्त करने वाले दीपक के हस्ताक्षर है। जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी श्री देवीलाल की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द मूर्तिब की गई। जो प्रपी 3 है। जिस पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। बयान प्रार्थी देवीलाल व गवाहान शंकरलाल, कालूराम, श्रीमति फूली, बाबूलाल, खातू, विनोद कुमार, फूलशंकर, हेडकानि जीवराम, कानि अमृतलाल, अर्जुनसिंह के कथन इनके कहे अनुसार लेकर शामिल पत्रावली किए गए। मृतका की पीएम रिपोर्ट प्राप्त किए जाकर शामिल पत्रावली की गई जो प्रपी 7 है। जिस पर आई से जे मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। अनुसंधान से अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष पिता रामजी बामणिया निवासी वीरपुर थाना कोतवाली डूंगरपुर के विरूद्व अपराध धारा 302 भादस का प्रमाणित होने से जरिए फर्द गिरफतार किया गया जो फर्द प्रपी 8 है। जिस पर ई से एफ अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष के हस्ताक्षर है जी से एच अभियुक्त के भाई दीपक के हस्ताक्षर है। आई से जे मेरे हस्ताक्षर है। जैर हिरासत अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की स्वेच्छापूर्वक सूचना दी कि मैने जिस स्थान पर मेरी पत्नि ललिता के साथ मारपीट कर हत्या कर दी थी वह स्थान मै साथ चल के बताना चाहता हूं। फर्द प्रपी 34 है। जिस पर ए से बी दो स्थान पर मनोज के हस्ताक्षर है। सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जैर हिरासत अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष द्वारा एक दूसरी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की स्वेच्छापूर्वक सूचना दी कि मैने जिस पाईप से मेरी पत्नि ललिता की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वह पाईप जिस स्थान पर छुपा रखा है वह साथ चल कर बरामद कराना चाहता हूं। फर्द प्रपी 35 है। जिस पर ए से बी दो स्थान पर मनोज के हस्ताक्षर है। सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त की मुताबिक सूचना तस्दीक मौका व बरामदगी हेतु थाने से रवाना हो अभियुक्त के मकान पर पहुंचा जहां अभियुक्त ने मृतका के साथ मारपीट कर हत्या कर देने की तस्दीक कराई। फर्द तस्दीक घ टनास्थल प्रपी 11 है। जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबिरान के ई से एफ अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष के, जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट करने के स्टील के पाईप को बरामद कराया। जिसको एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क ए दिया गया। फर्द बरामदगी स्टील

का पाईप मूर्तिब की गई जो प्रपी 12 है। जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबिरान के, ई से एफ अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष के हस्ताक्षर है। जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सिल अंकित है। अभियुक्त की निशादेही से फर्द तस्दीक बरामदगी स्थल स्टील का पाईप मूर्तिब की गई जो प्रपी 13 है। ए से बी, सी से डी मोतबिरान के, ई से एफ अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष के और जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। श्रीमान् मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए मृतका के सैंपल को कानि अर्जुनसिंह के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर भिजवाया गया जो थने का अग्रेषण पत्र प्रपी 15 है। जिस पर ए से बी कानि अर्जुनसिंह और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। एफएसएल उदयपुर भिजवाने का श्रीमान एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रपी 16 है। एफएसएल उदयपुर जमा रसीद प्रपी 17 है। श्रीमान एमओ साहब द्वारा मृतका से लिए गए आर्टिकल व मेरे द्वारा जब्त स्टील का पाईप को जांच हेतु एफएसएल जयपुर कानि अमृत के साथ भिजवाया गया जो थाने का अग्रेषण पत्र पी 18 है जिस पर ऐ से बी कानि अमृत और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। श्रीमान एसपी साहब का अग्रेषण पत्र पी 19 है। एफएसएल जयपुर जमा रसीद पी 20 है। जिस पर ए से बी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। फोरेंसिक युनिट बांसवाडा द्वारा घटनास्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो प्रपी 21 से लगायत 28 है। जिस पर सी से डी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। मौके से एमओबी मे तैनात कानि आदित्य 364 द्वारा लिए गए फोटोग्राफ पेश किए जो प्रपी 30 31 है। जिस पर सी से डी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। कानि अदित्य द्वारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश किया जो प्रपी 32 है। जिस पर ए से बी आदित्य के और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मृतका ललिता की माता के मोबाईल न. 7340450722 की कॉल डिटेल प्राप्त कर शमिल पत्रावली की गई। मन थानाधिकारी की थाने से रवाना होने की रपट प्रदर्श पी 35 है। जिस पर ए से बी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। मन थानाधिकारी वापसी रपट प्रपी 36 है जिस पर ऐ से बी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष की सूचना पर रवानगी रपट प्रपी 37 है जिस पर ए से बी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त द्वारा बरामदगी के पश्चात वापसी की रिपोर्ट 38 है जिस पर ऐ से बी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। कानि अमृतलाल की एफएसएल जमा कराने हेतु रपट प्रपी 39 है

जिस पर ए से बी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। कानि अर्जुनसिंह की एफएसएल जमा कराने हेतु रपट प्रपी 40 है जिस पर ए से बी मेरी शामिल पत्रावली का पृष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। श्रीमान एमओ साहब जनरल हॉस्पीटल डूंगरपुर को अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष का ब्लड ऑन एफटीए कार्ड पर लिवाने की तहरीर दी गई जो प्रपी 41 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। श्रीमान एमओ साहब जनरल हॉस्पीटल डूंगरपुर को अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष के चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट दिलाने बाबत तहरीर दी गई जो प्रपी 42 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिस पर एमओ साहब द्वारा मेडिकल एक्सामिनेशन रिपोर्ट प्राप्त हुई जो प्रपी 43 है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष पिता रामजी बामणिया निवासी वीरपुर के विरूद्व अपराध धारा 302 भादस का प्रमाणित पाए जाने से आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह कहना सही है कि प्रपी 1 रिपोर्ट किसके द्वारा और कहां लिखाई गई मेरी जानकारी मे नही है। अज खुद कहा कि रिपोर्ट प्रार्थी ने दी थी। यह सही है कि इस घटना से पूर्व मृतका की माता या भाई के द्वारा अभियुक्त मनोज के विरूद्व मृतका से पूर्व मे रंजीश या मारपीट बाबत कोई रिपोर्ट नही दी थी। यह कहना सही है कि मृतका ललिता का पूर्व मे भी विवाह हुआ था और मनोज अविवाहित था। जो कॉल डिटेल निकलवाई है उक्त मोबाईल सिम किसके नाम से है इसका अंकन पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि मृतका का अंतिम संस्कार मनोज के परिवालो ने किया था। यह सही है कि प्रपी 2 में मृतका के सिर पर कोई जाहीराद चोट नही है का अंकन है। यह सही है कि प्रपी 2 मे के से एल भाग सही लिखा है। यह सही है कि प्रपी 1 पर मृतका की माता के हस्ताक्षर नही है। यह सही है कि घटनास्थल के पास बडौदा विकास स्वरोजगार सेंटर है और राजू, दीपक व प्रकाश का मकान है। यह कहना सही है कि प्रपी 3 पर जिनके दस्तखत कराए है वे मृतका के परिवार के लोग है। अज खुद कहा कि मौके पर उपस्थित लोगो को मोतबिर बनाया है। यह सही है कि घ टनास्थल पहाडी क्षैत्र है। यह सही है कि जब मैं मौके पर गया तो मृतका की लाश बंद पडसाल के अंदर खाट पर सुलाई हुई थी। यह सही है कि खाट के चारो पायो के नीचे कटोरी मे पानी भर के रखा हुआ था। यह मेरी जानकारी मे नही है कि कटोरी मे पानी लेकर पाये के नीचे इसलिए रखते हो कि चीटियां लाश पर न चढे। यह सही है कि जिस स्थान पर पडसाल में मृतका की लाश सुलाई थी वहां

पर घटना संबंधी कोई आलामात नजर नही आ रहे थे। यह सही है कि घटनास्थल की फर्द प्रपी 3 मे मृतका के साथ किस स्थान पर मारपीट हुई थी उसका अंकन नही है। यह कहना सही है कि घटनास्थल मकान किसका है इस संबंध मे स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड नही लिया है। यह सही है कि मृतका की पुत्री अभियुक्त के परिवारजनो के पास मे थी। मृतका के पीहर वाले नही ले गए थे। यह सही है कि मैने मृतका का मोबाईल जब्त नही किया। यह सही है कि अभियुक्त मनोज की जामातलाशी मे मोबाईल मिला था लेकिन अलग से उसकी जब्ती नही बनाई। यह सही है कि मैने घटनास्थल के पास स्थित बडौदा स्वरोजगार सेंटर, गुप्ता पेट्रोल पंप, साई पैलेस, नालंदा बेंगलोज से किसी व्यक्ति के बयान नही लिए थे। यह सही है कि मेरी तफतीश मे यह आया था कि घटनास्थल के पास स्थित पावर हाउस मे कार्यरत कर्मचारी विनोद व मृतका ललिता के बीच आपस मे बातचीत होती थी। यह सही है कि जब मै मौके पर पहुंचा तब अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष घटनास्थल पर नही था। यह सही है कि मृतका ललिता व विनोद कुमार की कोल डिटेल पत्रावली पर नही है। यह सही है कि मृतका विनोद कुमार की दोस्त थी यह मेरे अनुसंधान मे आया था। यह सही है कि मृतका व विनोद कुमार दोनो आपस मे मिलते थे यह मेरे अनुसंधान मे आया था। यह मेरी जानकारी मे नही है कि मृतका को विनोद अपने साथ रखना चाहता हो। यह सही है कि मैने विनोद का मोबाईल जब्त नही किया। यह सही है कि प्रपी 11 बनाने से पूर्व भी मै मौके पर गया था। यह सही है कि मेन रोड से घटनास्थल पर जाने का कोई रास्ता नही है पर पगडंडी थी। यह सही है कि मैने घटनास्थल का मौका दूसरे दिन बनाया था। प्रपी 3 बनाने से पूर्व भी मै मौके पर गया था। यह सही है कि मैने घटनास्थल से कोई खुन, मृतका के कपडे, मुल्जिम मनोज के कपडे आदि जब्त नही किए थे। प्रपी 3 बनाने गए तब घ टनास्थल खुला हुआ था। अज खुद कहा कि जाब्ता तैनात था। यह सही है कि प्रपी 3 बनाने से पूर्व जाब्त मे कौन तैनात था इसका अंकन पत्रावली पर नही है। यह सही है कि मनोज के अन्य भाईयो के मकान अलग अलग होकर पीछे है। यह सही है कि राजु और प्रकाश का मकान घटनास्थल से थोडी दूरी पर है। यह सही है कि मृतका के मकान पर ताला किसने लगाया था यह मेरी तफतीश मे नही आया है। यह सही है कि जब ताला खोलते समय सरपंच व गांव के मोतबिर व्यक्तियो को गवाह नही बनाया गया व न ही उनके बयान लिए गए है। यह सही है कि कौन सरपंच था व कौन मोतबिर थे उनके नाम पत्रावली पर

नही है। यह सही है कि घटनास्थल पर लगा ताला जब्त नही किया था। यह कहना सही है कि देवीलाल, बाबूलाल, फूलशंकर, शंकरलाल, कालूराम, खातू, फूली जो गवाहान बनाए है वो मृतका के पीहर के होकर एक ही जाति के है। यह सही है कि मेरे द्वारा घटनास्थल की फोटोग्राफी नही की गई है अज खुद कहा कि आदित्य द्वारा की गई। यह सही है कि मैने आदित्य को फोटोग्राफी हेतु फोन पर बुलाया था बुलाने की कोई तहरीर पत्रावली पर नही है। यह सही है कि फोरेंसिक यूनिट को बुलाने की तहरीर पत्रावली पर नही है। यह सही है कि प्रपी 3 का कमरा बी और सी मे भी गया था। यह सही है कि प्रपी 3 मे घासफूस व सामान था लेकिन उसका अंकन नही है। यह सही है कि प्रपी 3 बनाते समय बी व सी कमरे की फोटोग्राफी नही की थी। यह सही है कि प्रपी 11 में भी कमरा न. सी एक्स स्थान वाले कमरे में घासफूस का अंकन नही है। यह सही है कि मृतका के पीहरवाले मेरे पहंचने से पूर्व मौजूद नही थे। घटनास्थल थाने से 6 किमी दूर है। यह सही है कि प्रपी 3 व 11 बनाते समय रास्ते से किसी स्वतंत्र मोतबिर को नही लिया था। यह सही है कि मेरे द्वारा सूचना देने पर पीहर पक्ष के लोग प्रपी 3 बनाते समय मौके पर आए। यह सही है कि घटना की सूचना मोबाईल पर मुझे प्राप्त हुई थी किंतु सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम व मोबाईल न. पत्रावली पर नही है। यह सही है कि मेरे द्वारा उक्त सूचना देने वाले व्यक्ति से कोई तफतीश नही की गई। यह सही है कि पाईप की बरामदगी समय पाईप से फिंगरप्रिंट नही लिए गए। यह मै नही बता सकता कि ऐसे पाईप हर जगह आसानी से मिल जाते हो। यह सही है कि पाईप के किस स्थान पर खुन जैसा लगा हुआ था उसका अंकन प्रपी 12 में नही है। यह सही है कि आज माननीय न्यायालय में उक्त पाईप पेश नही है। यह सही है कि प्रपी 34 व 35 कंप्यूटर से टाईप की हुई है। यह सही है कि प्रपी 3 11 12 व 13 मेरी कलमी नही है मेरे निर्देशन में मेरे मुंशी जितेन्द्र ने लिखी है। यह सही है कि प्रपी 13 में घासफूस का अंकन नही है। यह सही है कि प्रपी 13 मे बरामदगी के समय दरवाजा खुला हुआ था अज खुद कहा कि मेरा जाब्ता तैनात था। उस दिन जाब्ते मे कौन कौन तैनात था वो नही बता सकता। यह सही है कि प्रपी 13 बनाते समय जाब्ते के हस्ताक्षर फर्द पर नही कराए। यह सही है कि जाब्ते की मौके पर तैनातगी के संबंध मे रोजनामचे की रपट पत्रावली पर नही है। यह सही है कि जाब्ते की आमद रवानगी होती है। यह सही है कि घटना के कोई चश्मदीद गवाह पत्रावली पर नही है। यह सही है कि अभियुक्त के शरीर पर

आई चोटो का मेरे द्वारा अलग से कोई ईलाज नही कराया था। प्रपी 43 बनाने हेतु मनोज को हॉस्पीटल जाने की रपट पत्रावली पर नही है। यह कहना गलत है कि मुल्जिम फसाने के लिए मैने गलत तफतीश की हो।

अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विश्लेषण करते तो प्रकरण में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, चिकित्सकीय साक्ष्य एवं गवाहों द्वारा जो कथन किये गये है, उनका परस्पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध को दृष्टिगत करते हुये विश्लेषण किया जाना है जिसमें ऐसी परिस्थितियां और अभियुक्त का कृत्य, आचरण, व्यवहार को भी दृष्टिगत किया जाना है जिनसे अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता निर्धारित होती है या नहीं, यह भी देखा जाना है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध गवाहों में **पी.ड.1 देवीलाल** ने अपनी साक्ष्य में मृतका ललिता का नाता विवाह मनिष उर्फ मनोज के साथ होना बताया है। साथ ही प्रदर्श पी 1, 2, 3 पर अपने हस्ताक्षर होने की भी ताईद की है। उक्त गवाह मृतका का भाई है जिसने अपने पुलिस बयानों की ताईद करते हुये अभियुक्त द्वारा उसकी बहन के साथ आये दिन मारपीट करने के तथ्य प्रकट किये है, साथ ही मृतका द्वारा उसके साथ मारपीट होने के बाद मृतका द्वारा उसकी मां को फोन पर सब घटना बताये जाने के तथ्य भी गवाह ने प्रकट किये है। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी गवाह ने उसकी बहन के साथ अभियुक्त द्वारा घटना से पूर्व भी मारपीट किए जाने तथा ऐसी मारपीट के संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं दिये जाने के तथ्य भी प्रकट किये है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में स्वयं से संबंधित फर्दो पर अपने हस्ताक्षर होने तथा अभियुक्त द्वारा घटना से पूर्व उसकी बहन के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट किए जाने की अखंडित साक्ष्य दी है। गवाह यद्यपि चश्मदीद साक्षी नहीं है परन्तु उसके द्वारा स्वयं से संबंधित फर्दो पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। इसी प्रकार **गवाह पी.ड.2 बाबुलाल** ने मुख्य परीक्षा में घटना की ताईद की है। गवाह ने जो कथन अपनी मुख्य परीक्षा में किए है, वे प्रतिपरीक्षा में भी अखंडित रहे है। गवाह ने अभियुक्त के कृत्य के बारे में बताते हुए कथन किए है कि घटना के दो–तीन महिने पहले ललिता की मां ने उसे झगडा होने वाली बात बताई थी जिसकी रिपोर्ट ललिता की मां ने पुलिस को नहीं दी थी। गवाह ने स्पष्ट रूप से लाश के चेहरे पर, पीठ, जांघ, गले व पेट पर चोट के निशान देखे जाने के स्पष्ट कथन किए है। गवाह ने स्वयं से संबंधित फर्द प्रदर्श पी 2, 3, 4 पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है। **गवाह ने घटना की परिस्थितियां व्यक्त करते हुये**

मृतका ललिता की लाश को मृतका के जेठ दीपक को सुपुर्द करने के तथ्य भी प्रकट किए है। गवाह ने मृतका के ससुराल विरपुर में मृतका की मृत्यु होने के अखंडित तथ्य अपनी मुख्य परीक्षा में किए है जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतका की मृत्यु ससुराल में हुई तथा मौके पर उसका पति/अभियुक्त नहीं होने/भाग जाने के कारण मृतका की लाश उसके जेठ दीपक को सुपुर्द की गई। गवाह की साक्ष्य घटना की परिस्थितियां बताते हुए स्वयं से संबंधित फर्दो तक अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है। **गवाह पी.ड.3 फुलशंकर** न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने लाश पंचनामा पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है। **गवाह पी.ड.4 शंकरलाल** ने मृतका के शरीर पर सिर, मुंह, पीठ आदि जगह जगह चोटे होने तथा अभियुक्त द्वारा ललिता को मार दिये जाने का कथन करते हुये लाश पंचनामा प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। **गवाह पी.ड.5 विनोद** पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने मृतका के साथ स्वयं के प्रेमप्रसंग होने से इंकार किया है। **गवाह पी.ड.6 कालुराम** जो किसी फर्द से संबंधित गवाह नहीं है जिसने मृतका के ससुराल विरपुर में मृतका की लाश को देखे जाने तथा मृतका के शरीर पर जगह जगह चोटें होने के तथ्य मात्र प्रकट किए है जो घटना की परिस्थितियां व्यक्त कर रही है। **गवाह पी.ड.7 खातुराम** ने स्वयं से संबंधित फर्द लाश पंचनामा प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद करते हुये मृतका को मृत अवस्था में उसके ससुराल में देखे जाने तथा मृतका के शरीर, सिर, पीठ, पांव पर चोट के निशान देखे जाने के तथ्य प्रकट किए है जो घटना की परिस्थितियां व्यक्त कर रही है। **गवाह पी.ड.8 फुली** जो कि मृतका की मां है जिसने मृतका व अभियुक्त का नाता विवाह होने का तथ्य प्रकट करते हुये मृतका व अभियुक्त का मृत्यु से पूर्व झगडा होने, झगडे के फलस्वरूप मृतका का पीहर आने तथा मृतका के जेठ जेठानी उसे वापस अपने ससुराल ले जाने के तथ्य प्रकट किए है। उक्त घटना की रिपोर्ट गवाह ने थाने में नहीं किए जाने के तथ्य भी प्रकट किए है। गवाह ने अभियुक्त का घटना के ठीक पश्चात का आचरण व्यक्त करते हुये कथन किये है कि **"यह सही है कि जब मैं घटना होने के बाद मनोज के घर गई थी उस समय मनोज वहां मौजूद नहीं था।"** इस प्रकार उक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि घटना के ठीक पश्चात अभियुक्त मौके से भाग गया हो जो उसके विरूद्ध हीं उपधारित किए जाने योग्य है। अभियुक्त द्वारा उसके मौके पर उपस्थित नहीं होने तथा अंतिम संस्कार के वक्त भी मौजूद नहीं होने के तथ्य के संबंध में अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का

स्पष्टीकरण या खंडन या साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। गवाह ने मृतका के शरीर पर सिर, गाल पर चोटें होने के कथन किए है जो मृतका की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होने के तथ्य प्रकट कर रहे है। गवाह ने जो परिस्थितियां व्यक्त की है उससे यह भी स्पष्ट होता है कि घटना से ठीक पूर्व अभियुक्त मृतका के साथ ही था। गवाह ने जो परिस्थितियां व्यक्त की है, वे घटना की परिस्थितियां बताते हुये अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है। **गवाह पी.ड.9 दिनेश** जो कि मेडिकल ज्युरिष्ट के पद पर होते हुये मृतका की पी.एम. रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 तैयार करने तथा उस पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हुये मृतका के सिर, नाक, बांयी आरबिट, बांये गाल, बांये गाल के नीचे दाढी पर, मुंह, गले, सिने के उपरी भाग पर, होंठ पर, दांये कंधे पर, दांयी कोहनी, बांयी कोहनी, दांयी जांघ, बांयी पीठ, कमर, दांये बांये कुल्हे पर, दांये घुटने पर, पैर पर, बांये पैर पर, एंकल ज्वाइंट पर, बांये हाथ रिंग फिंगर पर चोटे होने के कथन किए है। मृतका के शरीर पर कुल 20 चोटे होने के गवाह ने कथन किए है। मृतका की मृत्यु कारण भी मृत्यु से पूर्व सिर, फेस व अन्य शरीर पर कई चोटे होने से आघात आने का बताया है। गवाह ने मृतका के शरीर पर आयी निलगु चोटे गिरने पडने से आने की संभावना से इंकार किया है। गवाह ने जो तथ्य अपनी मुख्य परीक्षा में प्रकट किए है वे प्रतिपरीक्षा में अखंडित रहे है। गवाह के शरीर पर आयी चोटें घटना की परिस्थितियां एवं मृतका का अभियुक्त के साथ वक्त घटना हुये संघर्ष को भी स्पष्ट कर रहा है। गवाह चिकित्सकीय साक्षी होकर अखंडित साक्ष्य देते हुये अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रहा है। **गवाह पी.ड. 10 प्रहलाद सिंह** जो पुलिसकर्मी होकर प्रदर्श पी 11, 12, 13 पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद कर रहा है। गवाह ने अभियुक्त को डिटेन करके लाने का कथन किया है। अपनी साक्ष्य में गवाह ने फर्द बरामदगी स्टील पाईप, मौका तस्दीक एवं फर्द तस्दीक बरामदगीस्थल के संबंध में अभियुक्त को आरोपित अपराध में संलिप्त करने वाले कथन किए है। गवाह की साक्ष्य अखंडित रहते हुये अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है। **गवाह पी.ड.11 जितेन्द्र सिंह** ने प्रदर्श पी 11, 12, 13, 14 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। अपनी साक्ष्य में गवाह ने फर्द बरामदगी स्टील पाईप, मौका तस्दीक एवं फर्द तस्दीक बरामदगीस्थल के संबंध में अभियुक्त को आरोपित अपराध में संलिप्त करने वाले कथन किए है। गवाह ने प्रदर्श पी 14 धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के संबंध में भी अखंडित साक्ष्य दी है। संबंधित फर्दो पर प्रयास करने के बावजूद भी कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने के स्पष्ट कथन गवाह ने

किए है। गवाह राजकीय कर्मी होकर अपने पदीय हैसियत में अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रहा है। **गवाह पी.ड.12 प्रकाश** फर्द सुपुर्दगी लाश पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद कर रहा है। **गवाह पी.ड.13 अर्जून सिंह** ने प्रदर्श पी 15, 16, 17 के संबंध में साक्ष्य देते हुये प्रदर्श पी 16 पर अपने हस्ताक्षर की ताईद की है। गवाह ने उसके द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान प्रकरण से संबंधित आर्टिकल मालखाना सीलचिट अवस्था में रहने के स्पष्ट कथन किए है। गवाह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की होकर अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है। **गवाह पी.ड.14 अमृतलाल** ने प्रदर्श पी 18, 19, 20 के संबंध में साक्ष्य देते हुये प्रदर्श पी 19 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। गवाह ने उसके द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही के दौरान जब्तशुदा सेंपल आर्टिकल सीलचिट अवस्था में रहने के स्पष्ट कथन किये हैं। गवाह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की होकर अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है। **गवाह पी.ड. 15 पुनीत दवे** ने प्रदर्श 21 लगायत 28 के संबंध में साक्ष्य देते हुये संबंधित फर्दों पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है। गवाह ने मौके से घटना संबंधित कोई अलामत नहीं होने के तथ्य भी प्रकट किये हैं। परंतु गवाह ने घटनास्थल के फोटोग्राफस बिना किसी छेड–छाड, कांटछांट के प्रिंट निकलवाकर 65 बी का प्रमाण पत्र के साथ पेश करने तथा उसपर अपने हस्ताक्षर होने के स्पष्ट कथन किये हैं। गवाह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की होकर घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण रिपोर्ट व उससे संबंधित फोटोग्राफस लिये जाने तक हैं। **पी.डब्ल्यू 16 जीवराम** जो कि मालखाना इंचार्ज होते हुये प्रपी 29 पर अपने हस्ताक्षर होने के साक्ष्य देते हुये माल जमा करने की औपचारिक साक्ष्य दे रहा है। गवाह ने स्वयं द्वारा कार्यवाही किये जाने के दौरान प्रकरण में जब्तशुदा माल सीलचिट अवस्था में रहने तथा मालखाना रजिस्टर में उक्त माल का इंद्राज किये जाने के स्पष्ट कथन किये है। गवाह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की होकर अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है। **पी.डब्ल्यू 17 आदित्य** जो कि मौके की फोटोग्राफी, विडियो सीडी एवं धारा 65 बी प्रमाण पत्र की ताईद का गवाह वह दिनांक 29.06.2024 को एसपी कार्यालय एमआईयु युनिट मे कानि के पद कार्यरत था। उस दिन विरपुर मे घटना स्थल के फोटोग्राफ एमआईयु युनिट के कैमरे से मेरे द्वारा लिये गये थे जो प्रपी 30 एवं 31 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिसका 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मेरे द्वारा दिया गया था जो प्रपी 32 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा खिंचे गये फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी की पेन ड्राईव

आर्टिकल 1 है एवं विडियोग्राफी की सीडी आर्टिकल 2 है। **गवाह की साक्ष्य एवं प्रति परीक्षा का विश्लेषण करे तो गवाह ने** प्रपी 30 लगायत 32 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हुये आर्टिकल 1 एवं 2 के संबंध में साक्ष्य दी है। गवाह ने अपनी संपूर्ण प्रति परीक्षा में भी ऐसे तथ्य प्रकट नहीं किये है, जिनसे मुख्य परीक्षा का खंडन या मुख्य परीक्षा संदेहास्पद प्रतीत हो। गवाह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की होकर अपनी पदीय हैसियत में दी गई साक्ष्य है जो अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है। **गवाह पी.ड.18 भगवानलाल जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, उक्त गवाह की साक्ष्य एवं प्रति परीक्षा का विश्लेषण करे तो गवाह ने** रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा दिये का कथन करते हुये, रिपोर्ट प्रपी 01 किसके द्वारा एवं कहा लिखवाये जाने के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की है। गवाह ने मृतका का अंतिम संस्कार मनोज के परिवार वालों द्वारा किये जाने का कथन किया है। गवाह ने प्रपी 02 में जाहिरा चोट का अंकन नहीं होने का कथन करते हुये उक्त फर्द का के से एल भाग सही लिखे होने का कथन किया है। गवाह ने प्रपी 03 में मृतका के परिवार के लोगों एवं मौके पर उपस्थित लोगों को मौतबीर बनाये जाने का कथन किया है। गवाह ने मृतका के मोबाईल एवं अभियुक्त के मोबाईल के संबंध में जब्ती नहीं बनाये जाने का कथन किया है। गवाह ने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रकट किये है कि ''यह सही है कि मेरी तफतीश में यह आया था कि घटनास्थल के पास स्थित पावर हाउस में कार्यरत कर्मचारी विनोद व मृतका ललिता के बीच आपस में बातचीत होती थी।'' अनुसंधान अधिकारी ने विनोद व मृतका के मध्य बातचीत होने के तथ्य को स्वीकार किया है परंतु उक्त तथ्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध का खंडन नहीं होता है। अनुसंधान अधिकारी ने घटना के तुरंत बाद अभियुक्त के आचरण को प्रकट करते हुये कथन किया है कि **''यह सही है कि जब मैं मौके पर पहुंचा तब अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष घटनास्थल पर नहीं था।''** उक्त तथ्य इस प्रकार है कि अभियुक्त मृतका का पति होकर मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व उसके साथ था और मृत्यु के ठीक पश्चात् मृतका के साथ स्वयं के घर पर ना होना उसी के विरूद्ध उपधारित किये जाने योग्य है। गवाह ने मृतका के विनोद से दोस्ती होना, दोनों का आपस में मिलना अपने अनुसंधान में पाया है तथा विनोद का मोबाईल जब्त नहीं करने के गवाह ने कथन किये हैं। अनुसंधान अधिकारी ने मृतका के पीहर पक्ष को ही गवाह बनाये जाने के कथन को सही माना है। गवाह ने पाईप की बरामदगी के संबंध में पाईप से फिंगर प्रिंट नहीं लिये जाने के भी कथन किये

हैं। गवाह ने प्रपी 13 में घांस—फूंस का अंकन नहीं होने को सही माना है। गवाह ने घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने का कथन करते हुये मुलजिम को फंसाने के लिये गलत तफतीश करने से इंकार किया है। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने जो कथन किये है उसकी पुष्टि पी.ड.1 देवीलाल, पी.ड.2 बाबुलाल, पी.ड.4 शंकरलाल, पी.ड.6 कांतिलाल, पी.ड.7 खातुराम, पी.ड.8 फुली, पी.ड.9 डॉ.दिनेश, पी.ड.10 प्रहलाद सिंह, पी.ड.11 जितेन्द्र सिंह, पी.ड.12 प्रकाश, पी.ड.13 अर्जून सिंह, पी.ड.14 अमृतलाल, पी.ड.15 पुनित दवे, पी.ड.16 जीवराम, पी.ड.17 आदित्य ने की है। गवाह ने अनुसंधान के दौरान जिन साक्षीगण के बयान दौराने अनुसंधान लेखबद्ध किये है वे न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रहे है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी देवीलाल तथा पी.ड.9 डॉ.दिनेशचन्द्र खडे ने घटना की परिस्थितियां व्यक्त की है जिनमें पी.ड.9 दिनेश द्वारा मृतका के शरीर पर कुल 20 चोटें तथा मृतका की मृत्यु सिर, चेहरे व शरीर के कई भागों पर चोट से आघात होने के कारण होना बताया है जो कि मृत्यु की असामान्य परिस्थितियां है। उक्त परिस्थितियां असामान्य होकर अभियुक्त के विरूद्ध उपधारित किये जाने योग्य है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह न्यायालय में परीक्षित हुये है उन्होंने घटना की ताईद करते हुये ऐसी परिस्थितियां व्यक्त की है जो अभियुक्त को आरोपित अपराध में संलिप्त कर रही है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत उपर्युक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हैं कि **अभियुक्त ने दिनांक 27.06.2024 को या इसके पश्चात किसी समय स्थान वीरपुर में मृतका ललिता की हत्या कारित करने के आशय से उसर्क मारपीट कर उपहतियां कारित करते समय जानते थे कि उक्त कृत्य से उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है एवं उपहतियां या शारीरक क्षतियां कारित करने का कार्य प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी और आप जानते थे कि उपहतियां या शारीरिक क्षतियां कारित करने का आपराधिक कार्य इतना आसन्न संकट था कि पूरी अधिसंभाव्यता थी कि मृत्यु कारित हो ही जायेगी और इस प्रकार आपने मृतका श्रीमति ललिता की हत्या का अपराध कारित किया।** ऐसी स्थिति में अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष अपराध अंतर्गत धारा 302 भादंसं के लिये दोषी करार दिये जाने योग्य हैं।

आदेश

13. परिणामतः अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष पिता रामजी बामणिया उम्र 29साल निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी पुलिसथाना कोतवाली जिला डूंगरपुर (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 भादंसं में दोषसिद्ध घोषित किया जाता हैं।

(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डूंगरपुर (राज.)

दण्डादेश

14. अभियुक्त **मनोज उर्फ मनीष** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर दोनो पक्षों को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

15. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क हैं कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त अत्यन्त गरीब है। अभियुक्त मनोज उर्फ मनीष जो घटना से लेकर अब तक निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। कारावास में भी उसका आचरण अच्छा रहा हैं। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं। अभियुक्त का मामला विरलतम मामलों में से विरले मामले की श्रेणी में नहीं आता हैं। अतः अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित करने की बजाय मात्र न्यूनतम दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी।

16. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या कर हत्या के सबूत का विलोन करने से धारा 302 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया हैं। अतः दोषसिद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से अर्थात मृत्युदण्ड से दण्डित किया जावें।

17. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर गौर किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

18. प्रकरण में समस्त स्थापित तथ्यों एवं प्रमाणित परिस्थितियों अनुसार, चूंकि अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध घोषित किया गया हैं अतः ऐसे अपराध में मृत्युदण्ड से दण्डादिष्ट करने हेतु विरल मामलो में से विरलतम मामला नहीं है व धारा 354(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार मृत्युदण्ड दिये जाने हेतु अपेक्षित कोई विशेष कारण भी अभिलेख पर दृष्टिगत नहीं

होते। अतः ऐसी स्थिति में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में मृत्युदण्ड की बजाय आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। अतः दोषसिद्ध अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **मनोज उर्फ मनीष** को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित हैं :—

क. सं.	अभियुक्त का नाम	अपराध अंतर्गत धारा	सजा की अवधि	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड सजा की अवधि
01	मनोज उर्फ मनीष	धारा 302 भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास	पचास हजार रूपये	03 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास

19. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अन्तर्गत मूल सजा मे से कम की जायेगी अर्थात मुजरा की जाये।

20. प्रकरण में जब्तसुदा वजह सबूत आर्टिकल फर्द जब्ती के अनुसार बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार नष्ट किये जावें व अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार निस्तारित किये जावें।

21. निर्णय की प्रति अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दी जाये। अभियुक्त का सजा वारंट तैयार कर सजा भुगताने हेतु प्रभारी अधिकारी, कारागृह, डूंगरपुर को भेजा जावे।

--sd--
(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डूंगरपुर (राज.)

22. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 08—07—2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया ।

PREM KUMAR MEENA
Digitally signed by PREM KUMAR MEENA
Date: 2026.07.14 14:29:56 +0530

--sd--
(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डूंगरपुर (राज.)